[2018] 2 एस. सी. आर 277

भारत का जीवन बीमा निगम

वी.

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस।

(2017 की सिविल अपील संख्या 15536)

फरवरी 20,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, अमिता रॉय और

ए. एम. खानविलकर, जे. जे.]

लेटर्स पेटेंट अपीलः

रिट में पारित आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील (एल. पी. ए.)

याचिका यू/आर्ट। 226/227 – रखरखाव-आयोजितः लोक के तहत अपीलीय अधिकारी (जिला न्यायाधीश) के आदेश के खिलाफ रिट याचिका

परिसर अधिनियम, एक दीवानी न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक याचिका थी-जैसे

आदेश केवल प्रयोग में उच्च न्यायालय की जांच के लिए उत्तरदायी है

यू/आर्ट के अधिकार क्षेत्र। 227 और यू/आर्ट नहीं। 226 – इसलिए, रिट याचिका यू/आर्ट में आदेश के खिलाफ एल. पी. ए.। 227 रखरखाव योग्य नहीं था-सार्वजनिक

परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971। 9 –

भारत का संविधान-कला। 226 और 227।

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम,

1971 :

जिला न्यायाधीश का आदेश-यू/एस की शक्ति का प्रयोग करते हुए। 9 के रूप में

एस. 9

एक अपीलीय अधिकारी-क्या ऐसा आदेश की क्षमता में पारित किया जाता है

एक सिविल न्यायालय या व्यक्ति पदनाम आयोजितः द्वारा प्रयोग की गई शक्ति

अपीलीय अधिकारी यू/एस। 9 एक न्यायिक शक्ति है न कि कार्यकारी शक्ति-सिटी सिविल कोर्ट के जिला न्यायाधीश और इन अदालतों के अन्य न्यायिक अधिकारी एक वर्ग का गठन करते हैं और उन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

व्यक्ति पदनाम के रूप में-एक अपील प्रदान करने के पीछे विधायी इरादा

यू/एस। 9 अपीलीय अधिकारी के जिला न्यायाधीश बनने से पहले इसका संकेत है

तथ्य यह है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति एक नामित व्यक्ति के रूप में उसकी क्षमता में नहीं है, बल्कि एक न्यायिक अधिकारी है

-

इसलिए, अपीलीय अधिकारी यू/एस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए। 9 करता है

एक व्यक्ति पदनाम के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि एक पूर्व-विद्यमान के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करता है

जिले में न्यायिक प्राधिकरण अर्थात जिला न्यायाधीश।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 सार्वजनिक परिसरों की धारा 9 की उप-धारा (1)

(अप्राप्त अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में कहा गया है कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम के तहत पारित संपदा अधिकारी के प्रत्येक आदेश के खिलाफ अपील एक अपीलीय अधिकारी को की जाएगी। अपीलीय अधिकारी कौन होगा, यह भी उसी प्रावधान में निर्दिष्ट किया गया है। यह उस जिले के जिला न्यायाधीश की भविष्यवाणी करता है जिसमें सार्वजनिक परिसर स्थित हैं या उस जिले में ऐसे अन्य न्यायिक अधिकारी की भविष्यवाणी करता है।

उस उद्देश्य के लिए नामित किए जाने वाले जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 10 वर्ष का पद। प्रावधान के पहले भाग में यह सुझाव दिया गया है कि अपील एक अपीलीय अधिकारी के पास होगी, हालांकि, इससे यह नहीं पता चलता है कि अपीलीय अधिकारी व्यक्ति नामित है। इसे बनाए रखने के लिए कुछ और चाहिए। अगर ऐसा होता तो

अपीलीय अधिकारी या तो जिले का जिला न्यायाधीश होता है या उस जिले का कोई अन्य न्यायिक अधिकारी होता है जिसके पास आवश्यक अधिकार होते हैं। जिला न्यायाधीश द्वारा नामित की जा सकने वाली योग्यता, जिला न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश में किसी अपीलीय प्राधिकारी की शक्ति के इस तरह के निवेश का प्रश्न किसी भी मानक से या उस मामले के लिए निम्नलिखित रंग प्राप्त नहीं करेगाः

व्यक्तित्व

पदनाम। [पैरा 30] [317-ए-डी]

1.2 अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति

धारा 9 की शर्तें राज्य की एक न्यायिक शक्ति है जो राज्य की कार्यकारी शक्ति से काफी अलग है। जिला न्यायाधीश या नामित न्यायिक अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में न्यायिक अधिकार का प्रयोग करता है। जैसा कि अधिनियम भविष्यवाणी करता है कि अपीलीय अधिकारी एक जिला न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी होना चाहिए, यह राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने वाले पहले से मौजूद प्राधिकरण के तथ्य का संकेत है। जिला न्यायाधीश महाराष्ट्र सिविल न्यायालय अधिनियम, 1869 की धारा 5 का हिस्सा हैं, जो एक जिला न्यायालय की अध्यक्षता करते हैं, जिसमें हमेशा संबंधित जिले में एक से अधिक न्यायाधीश होते हैं। [पैरा 30] [317-डी-एफ]

1.3 इसी तर्ज पर, बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट ने

बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट की धारा 3 के तहत गठित किया गया था अधिनियम, 1948, ग्रेटर बॉम्बे के भीतर उत्पन्न होने वाले सभी मुकदमों और नागरिक प्रकृति की अन्य कार्यवाहियों को प्राप्त करने, प्रयास करने और निपटाने की अधिकारिता के साथ, एक मुकदमे या कार्यवाहियों को छोड़कर जो उसमें संदर्भित उच्च न्यायालय और लघु कारण न्यायालय द्वारा संज्ञेय हैं। [पैरा 30] [318-बी-सी] एल. आई. सी. ऑफ इंडिया v.

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस।

1.4 जिला न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हैं और यह एक ऐसा प्राधिकरण है जिसके पास उच्च और निम्न न्यायालयों का अपना पदानुक्रम है, प्रक्रिया का कानून जिसके अनुसार वह न्यायिक तरीके से कार्य करते हुए अपनी प्रकृति और क्षेत्राधिकार के आधार पर अपने समक्ष आने वाले मामलों का निपटारा करेगा। सिटी सिविल कोर्ट के जिला न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश हैं -

न्यायालय की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी और न्यायालय के नामकरण से अपना विवरण प्राप्त करता है। भले ही सिटी सिविल कोर्ट का जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो सकता है या हो सकता है

स्थानांतरित किए जाने पर, उनका उत्तराधिकारी 1971 के अधिनियम की धारा 9 के तहत कार्यवाही का धागा उस स्तर से उठा सकता है जहां से यह उनके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था और एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य कर सकता है। सिटी सिविल कोर्ट के जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश और आवश्यक योग्यता रखने वाले इन न्यायालयों के अन्य न्यायिक अधिकारी एक वर्ग का गठन करते हैं और

व्यक्तित्व नामित के रूप में माना जाता है। इसलिए, अपीलीय अधिकारी को एक न्यायालय के रूप में कार्य करना पड़ता है और 1971 के अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होता है। [पैरा 30] [318-डी-जी]

1.5 जिला न्यायाधीश के रूप में अपीलीय अधिकारी के समक्ष धारा 9 के तहत अपील प्रदान करने के पीछे विधायी इरादा

संबंधित जिला न्यायालय जिसमें सार्वजनिक परिसर हैं

उस जिले में स्थित या ऐसा अन्य न्यायिक अधिकारी जो उस उद्देश्य के लिए जिला न्यायाधीश द्वारा नामित किए जाने के लिए आवश्यक योग्यता रखता है, इस तथ्य का संकेत है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति व्यक्ति पदनाम के रूप में उसकी क्षमता में नहीं है, बल्कि पूर्व विद्यमान न्यायालय के न्यायिक अधिकारी के रूप में है। 1971 के अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उपरोक्त विश्लेषण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। [पैरा 30] [318-जी-एच; 319-ए] 1.6 धारा 9 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "अपीलीय अधिकारी" है और "अपीलीय प्राधिकरण" नहीं है, हालांकि, न तो कोई

अंतर और न ही जिला न्यायाधीश या नामित न्यायिक अधिकारी की स्थिति को कम करता है ताकि उनकी नियुक्ति को व्यक्ति पदनाम के रूप में माना जा सके। धारा 9 (1) का जोर जिला न्यायाधीश के समक्ष संपदा अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील के उपचार का प्रावधान करना है, जो निर्विवाद रूप से जिले के भीतर एक पूर्व-विद्यमान प्राधिकारी और न्यायपालिका का प्रमुख है, जो अपील दायर करने में देरी को माफ करने और [2018] 2 एस. सी. आर. के लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत देने की शक्ति सहित राज्य की न्यायिक शक्ति का निर्वहन करता है।

अपील की। यद्यपि एक अपीलीय अधिकारी के रूप में वर्णित है, जिला न्यायाधीश, धारा 9 के तहत एक अपील पर निर्णय लेने के लिए, दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और उससे अपेक्षा की जाती है। [पैरा 31] [319-बी-डी]

1.7 1971 के अधिनियम में "संपत्ति अधिकारी" की परिभाषा के विपरीत "अपीलीय अधिकारी" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। उस अधिनियम की धारा 2 (1) (बी) में। अपीलीय अधिकारी को एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है, जैसा कि 1971 के अधिनियम की धारा 2 (1) (एफ. ए.) में शब्दकोश खंड में परिभाषित किया गया है। यहां तक कि 1971 अधिनियम की धारा 9 के तहत अपील के संबंध में, के प्रधान न्यायाधीश

नगर सिविल न्यायालय या जिला न्यायाधीश स्वयं अपील की सुनवाई करने या अपेक्षित योग्यता रखने वाले अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को नामित करने में सक्षम है। जिला न्यायपालिका का गठन करने वाले अधिनियमों के प्रावधानों के साथ पठित धारा 9 में यह निहित है कि जिला न्यायपालिका का प्रमुख जिला न्यायाधीश या सिटी सिविल कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश होता है और 1971 के अधिनियम की धारा 9 निवेश प्राधिकरण द्वारा इसे स्पष्ट करती है।

जिला न्यायाधीश या नगर सिविल न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश में, ऐसी अपीलों की सुनवाई के लिए आवश्यक योग्यता रखने वाले अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को नामित करने के लिए। यह एक व्यक्ति पदनाम के रूप में एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से एक स्पष्ट विचलन है। इसलिए, आवश्यक योग्यता रखने वाला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी, 1971 के अधिनियम की धारा 9 के अर्थ के भीतर एक हीन अपीलीय अधिकारी नहीं है। 1971 के अधिनियम की धारा 9 में इस विधायी इरादे को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त संकेत हैं कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील का उपाय किसी व्यक्ति के समक्ष नहीं है, बल्कि एक पूर्व निर्देश है। संबंधित जिले में विद्यमान न्यायिक प्राधिकरण। [पैरा 39] [323 बी-एफ]

1.8 तथ्य यह है कि 1971 के अधिनियम में अपील द्वारा अपनाई जाने वाली या अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है।

अधिकारी, यह इसके बाद नहीं होगा कि जिला न्यायाधीश या नामित न्यायिक अधिकारी जो धारा 9 के तहत अपीलों की सुनवाई करते हैं, ऐसा न्यायालय के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्ति पदनाम के रूप में करते हैं। उस स्थिति में, अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया 1971 के अधिनियम और बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगी।

इसके तहत और उस अधिनियम को शामिल करते हुए जिसके तहत न्यायिक प्राधिकरण बनाया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र सिविल कोर्ट अधिनियम और सिटी सिविल कोर्ट अधिनियम। भारत का ऐसा पूर्व-विद्यमान न्यायिक एल. आई. सी. v.

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस।

प्राधिकरण, निहितार्थ से, उक्त अधिनियमों में अंतर्निहित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य होगा और इसके सिद्धांत का भी पालन करेगा -

नामित लेकिन जिले में एक पूर्व मौजूदा न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी क्षमता में (एक जिला न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी होने के नाते जिला न्यायाधीश द्वारा नामित आवश्यक योग्यता रखने वाला)। जिला न्यायपालिका का हिस्सा होने के नाते, न्यायाधीश एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है और उसके द्वारा पारित आदेश अधीनस्थ न्यायालय का एक आदेश होगा जिसके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उपचार किया जाएगा। इस तरह के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए निर्दिष्ट मामलों पर भारत का लाभ उठाया जा सकता है। [पैरा 49] [328-सी-डी]

ठाकुर दास (मृत) एल. आर. वी. एम. पी. और ए. एन. आर. का राज्य (1978)

1 एस. सी. सी. 27 [1978] 1 एस. सी. आर. 732; मुकरी गोपालन बनाम।

चेप्पिलट पुथनपुरायिल अबूबकर (1995) 5 एस. सी. सी. 5: [1995] 2 पूरक। एस. सी. आर. 1; सेंट्रल टॉकीज लिमिटेड बनाम द्वारका

प्रसाद [1961] 3 एस. सी. आर. 495; महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम बनाम। जेसी ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स (पी) लिमिटेड (1991) 2 एससीसी 637: [1991] 1 एस. सी. आर. 480; नया

ड्रग्स (पी) लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य वित्त

निगम (1971) 3 एससीसी 602 [1972] 1 एससीआर 351;

राम चंदर अग्रवाल और अन्र। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र. [1966] सप. एस. सी. आर. 393; बालकृष्ण उदयार बनाम। वासुदेव अय्यर 44 आई. ए. 261; श्याम सुंदर अग्रवाल एंड कंपनी वी. भारत संघ (1996) 2 एस. सी. सी. 132-पर निर्भर था।

जिन्दा राम बनाम। यू. ओ. आई. (1999) 2 एम. पी. एल. जे. 221; एम. पापा नाइक बनाम कमिश्नर सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल (1996) 3 कांत एलजे 86-अनुमोदित।

नुस्ली नेविल वाडिया बनाम। न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड

2010 (2) एम. एच. एल. जे. 978; एन. पी. बेरी बनाम दिल्ली परिवहन निगम 15 (1979) डीएलटी 108; मैसूर राज्य बनाम। पी शंकरनारायण राव (1975) 2 कर। एलजे 280; गंगा राम दोहरे बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 2002 इलाहाबाद 238; एम/एस। पिटमैन की शॉर्टहैंड अकादमी बनाम। एम/एस। बी. लीला राम एंड संस आकाशवाणी (37) 1950 पूर्वी पंजाब 181-अनुमोदित नहीं।

ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा बनाम। सीतामड़ी सेंट्रल कंपनी [2018] 2 एस।

ऑप बैंक लिमिटेड [1967] 3 एससीआर 163; ब्रजनंदन सिन्हा बनाम। ज्योति नारायण [1955] 2 एस. सी. आर. 955; विरेन्द्र कुमार

सत्यवादी वी. पंजाब राज्य [1955] 2 एससीआर 1013; प्रकाश सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. जीवन बीमा निगम। भारत और एएनआर। 2012 (4) बम। सी. आर. 1. ; सिजेराली मोहम्मदीली लोधिया बनाम। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम 2001 (2) गुज। एल. आर. 1120; एम. अब्दुल वाहिद साहिब बनाम देवंजी अब्दुल खादर साहिब ए. आई. आर. 1947 मद्रास

400 ; सी. एस. बलराम अय्यर और अन्र. वी. कृष्णन कुंचंडी ए. आई. आर. 1968 केरल 240; वाई. महाबलेश्वरप्पा बनाम।

मारवाड़ी बनाम. वेंकटेश गोपाल रानाडे एयर 1933 बॉम्बे 105; शोलापुर की नगरपालिका बनाम। तुलजाराम कृष्णसा चव्हाण ए. आई. आर. 1931 बॉम्बे 582; थावसिकानी नादर बनाम। चुनाव आयुक्त (1974) II मद्रास एलजेआर 44; बाथुला कृष्ण ब्राह्मण और अन्य। वी. दाराम चेंची रेड्डी और अन्य। ए. आई. आर. 1959 ए. पी. 129; सुरिंद्र मोहन बनाम। धरम चंद अब्रोल ए. आई. आर. 1971 जे. एंड के. 76; किरण चंद्र बोस बनाम। कालिदास चटर्जी ए. आई. आर 1943 कलकत्ता 247; पी. वेंकट सोमाराजी और अन्य। वी. प्राचार्य मुन्सिफ और अन्य। ए. आई. आर. 1968 ए. पी. 22; एस. श्रीनिवास राव बनाम ए. पी. ए. आई. आर. 1989 ए. पी. 258 का उच्च न्यायालय; कलेक्टर,

वाराणसी बनाम. गौरी शंकर मिश्रा और अन्य। ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 384; हंसकुमार किशनचंद बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 947; नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1967 एस. सी.; गंगाधर बापुराव गद्रे बनाम। हुबली नगरपालिका 1925 बी. एल. आर. 519; आबिद अली बनाम। जिला न्यायाधीश, बहराइच (1987 इलाहाबाद लॉ जर्नल); पार्थसारधी नायडू बनाम। कोटेश्वर राव आईएलआर

(1924) 47 मैड 369 का उल्लेख किया गया।

2.1 सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश केवल ए के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उच्च न्यायालय के लिए उत्तरदायी है।

भारत के संविधान का, जो संविधान के ए से अलग है। सिविल कोर्ट द्वारा ओ. एड. के खिलाफ कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है और इसलिए, कोई भी पत्र पेटेंट बनाए रखने योग्य नहीं है। [पैरा 53] [332-एच; 333-ए] एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम।

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस।

2.2 वर्तमान मामले में, प्रतिवादियों ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका के समाधान का सहारा लिया था।

भारत का संविधान। इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि जिला न्यायाधीश द्वारा एक अपीलीय अधिकारी के रूप में पारित आदेश अधीनस्थ न्यायालय का एक आदेश है, इसके लिए चुनौती आमतौर पर केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत आगे बढ़नी चाहिए, न कि अनुच्छेद 226 के तहत। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय की बारीकी से जांच करने पर, एकल न्यायाधीश के आदेश की वास्तविक प्रकृति और सार भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग करना था; और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि न्यायालय ने अनुच्छेद के तहत शक्तियों का प्रयोग किया था।

226 भारत के संविधान के अनुसार। [पैरा 50] [328-डी-जी]

2.3 डिवीजन बेंच ने नुस्ली नेविल वाडिया मामले और प्रकाश प्रतिभूति मामले पर भरोसा करने के अलावा, लेटर्स पेटेंट अपील पर विचार करने के लिए कोई अन्य विश्लेषण नहीं किया, कि एकल न्यायाधीश का निर्णय किस तरह से अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग के दायरे में आएगा।

भारत का संविधान। उस विश्लेषण के अभाव में, खंड पीठ केवल पहले के निर्णयों का उल्लेख करके लेटर्स पेटेंट अपील पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण नहीं कर सकती थी। [पैरा 54] [333-बी-सी]

2.4 उच्च न्यायालय की खंड पीठ को प्रत्यर्थियों द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर देना चाहिए था क्योंकि

रखरखाव योग्य नहीं है। उस घटना में, डिवीजन बेंच के लिए मामले के गुण-दोष पर विश्लेषण करने का अधिकार नहीं था। यह अनुज्ञेय नहीं था और अधिकार क्षेत्र के बिना होने के कारण इसका कोई लाभ नहीं था। यह प्रत्यर्थियों को एकल न्यायाधीश द्वारा उनकी रिट याचिका को खारिज करने के प्रतिकूल निर्णय के साथ छोड़ देगा, जिसके तहत संपदा अधिकारी द्वारा पारित और सिटी सिविल कोर्ट द्वारा पुष्टि किए गए बेदखली आदेश को बरकरार रखा गया है। हालाँकि, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उत्तरदाताओं को निर्णय को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी जाती है।

उचित उपचार के माध्यम से एकल न्यायाधीश सीखा। [पारस 55,56] [333-डी-ई, जी]

राधे श्याम और एक अन्य वी। चब्बी नाथ और अन्य। (2015) 5 एससीसी 423: [2015] 3 एससीआर 197; राम किशन फौजी बनाम। हरियाणा राज्य (2017) 5 एस. सी. सी. 533; जोगेंद्रसिंहजी [2018] 2 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विजयसिंहजी बनाम। गुजरात राज्य (2015) 9 एससीसी 1: [2015]

6 एस. सी. आर. 504-निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[1978] 1 एससीआर 732

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

[1995] 2 पूरक। एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

[1967] 3 एससीआर 163

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[1961] 3 एससीआर 495

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

[1955] 2 एससीआर 955

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[1955] 2 एससीआर 1013

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[1991] 1 एससीआर 480

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

[1972] 1 एससीआर 351

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

[2015] 3 एससीआर 197

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

[2015] 1 एससीसी 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

[1966] सप. एससीआर 393

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

(2017) 5 एस. सी. सी. 533

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

[2015] 6 एससीआर 504

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

2010 (2) एम. एच. एल. जे. 978

मंजूरी नहीं मिली

पैरा 16

2012 (4) बम। सी. आर. 1.

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

मंजूरी नहीं मिली

15 (1979) डीएलटी 108

पैरा 16

(1975) 2 कर। एलजे 280

मंजूरी नहीं मिली

पैरा 16

मंजूरी नहीं मिली

आकाशवाणी 2002 इलाहाबाद 238

पैरा 16

2001 (2) गुज। एल. आर 1120

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

मंजूरी नहीं मिली

आकाशवाणी (37) 1950 पूर्वी पंजाब 181

पैरा 17

आकाशवाणी 1947 मद्रास 400

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

आकाशवाणी 1968 केरल 240

ए. आई. आर. 1935 मद्रास 673

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

ए. आई. आर. 1946 बॉम्बे 64

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

ए. आई. आर. 1933 बॉम्बे 105

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 1931 बॉम्बे 582

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

(1974) II मद्रास एलजेआर 44

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

ए. आई. आर 1959 ए. पी. 129

(1999) 2 एमपी एलजे 221

मंजूरी मिल गई।

पैरा 18 एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम। नंदीनी जे. शाह और ओआरएस।

(1996) 3 कांत एलजे 86

मंजूरी मिल गई।

पैरा 18

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

ए. आई. आर. 1971 जे एंड के 76

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1943 कलकत्ता 247

पैरा 18

आकाशवाणी 1968 एपी 22

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

ए. आई. आर 1989 ए. पी. 258

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

ए. आई. आर 1968 एस. सी. 384

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

आकाशवाणी 1958 एससी 947

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

आकाशवाणी 1967 एससी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

उस पर भरोसा करें

44 आई. ए. 261

पैरा 27

1925 बी. एल. आर. 519

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

ए. आई. आर. 1931 बॉम्बे 582

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

संदर्भित किया गया है

आकाशवाणी 1956 एस. सी. 153

पैरा 40

(1987 इलाहाबाद लॉ जर्नल) का उल्लेख किया गया है।

पैरा 45

(1996) 2 एससीसी 132

उस पर भरोसा करें

पैरा 46

उस पर भरोसा करें

आई. एल. आर. (1924) 47 मैड 369

पैरा 47

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 15536

2017 से।

डिवीजन द्वारा दिनांकित 12.10.2012 निर्णय और आदेश से

2012 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 181 में बॉम्बे में माननीय उच्च न्यायालय की न्यायपीठ।

रंजीत कुमार, एस. जी., श्रीमती इंद्रा साहनी, आदित्य शांडिल्य,

शशांक मिश्रा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री सोनल, अनुपम मिश्रा, हरिकुमार वी., सुश्री पूजा सिंह,

वी. जे. फ्रांसिस, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1. में प्रस्तुत किया गया मौलिक प्रश्न

यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, यह है कि क्या नगर सिविल न्यायालय द्वारा लोक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक अपीलीय अधिकारी के रूप में पारित आदेश सिविल न्यायालय या व्यक्ति पदनाम की क्षमता में है?

2. जब इस विशेष अनुमति याचिका को प्रवेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था

12.09.2017 , न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" श्री रंजीत कुमार, विद्वान सॉलिसिटर जनरल को सुना

याचिकाकर्ता और सुश्री सोनल की ओर से उपस्थित होते हुए, सीखा

उत्तरदाताओं की ओर से पेश होने वाले वकील। चूंकि इस मुद्दे पर चर्चा की जानी थी

लेटर पेटेंट अपील की स्थिरता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने राधे श्याम और अन्र पर भरोसा रखा है। बनाम छवि नाथ और अन्य। , (2015) 5 एस. सी. सी. 423 और राम किशन फौजी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। , (2017) 5 एससीसी 533। उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली विद्वान वकील सुश्री सोनल ने तर्क दिया कि प्रस्ताव के बारे में कोई झगड़ा नहीं है

कि जब एक रिट कार्यवाही में सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी जाती है, तो इसे एक के रूप में माना जाना चाहिए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत कार्यवाही

और, इसलिए, कोई लेटर्स पेटेंट अपील नहीं होगी। लेकिन एक में

सार्वजनिक परिसरों के तहत मामला (अनधिकृत लोगों की बेदखली)

अधिभोगियों) अधिनियम, 1971, संपदा अधिकारी नहीं हो सकता है

एक न्यायालय के रूप में माना जाता है और आगे अपीलीय मंच अधिनियम की धारा 9 के तहत अपील का निर्णय अपीलीय के रूप में करेगा।

अधिकारी और प्रभाग द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार

बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने नुस्ली नेविल वाडिया बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2010 (2) Mh.L.J.978 में दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा किया है।

N.P.Berry बनाम दिल्ली परिवहन निगम और ए. एन. आर.

15 (1979) डी. एल. टी. 108 (पैरा 19), यह एक दीवानी न्यायालय नहीं है और इसलिए, उक्त अपीलीय मंच द्वारा पारित आदेश कर सकता है

धारा 226 और 227 के तहत चुनौती दी जाए

भारत का संविधान और उस घटना में, एक अंतर-न्यायालय अपील

बनाए रखने योग्य होगा।

21.09.2017 पर आगे की सुनवाई के लिए सूची बनाएँ।

विशेष अनुमति याचिका के प्रवेश पर सुनवाई 2017 में जारी रही जब न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" छुट्टी दे दी गई।

सुनी Mr.Ranjit कुमार, के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील अपीलार्थी और उत्तरदाताओं के लिए Ms.Sonal।

सुनवाई के दौरान Mr.Ranjit कुमार, विद्वान वरिष्ठ

अपीलार्थी के वकील ने प्रस्तुत किया कि लैटर्स एल. आई. सी. ऑफ इंडिया v.

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं के आग्रह पर पेटेंट अपील विचारणीय नहीं थी। प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री सोनल ने इसके विपरीत तर्क दिया है कि अपील विचारणीय थी। जैसा कि हमने इस संबंध में विस्तार से सुना है

उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील की स्थिरता, यह प्रदान करना उचित है

एक निर्णय। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निर्णय सुरक्षित है।

पक्षों के लिए विद्वान वकील लिखित रूप से प्रस्तुत करेंगे। 3 अक्टूबर, 2017 तक प्रस्तुतियाँ।

3. इस निर्णय द्वारा, हम प्रारंभिक मुद्दे का जवाब देंगे कि क्या प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील

बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (कथित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर) में दिए गए विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ, 2011 की विविध दीवानी अपील No.121 दिनांक 03.04.2012 में सिटी सिविल कोर्ट, मुंबई के फैसले की शुद्धता और वैधता पर सवाल उठाते हुए, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्टि की गई थी, विचारणीय था।

तीन कंपनियाँ (प्रत्यर्थी संख्या। 3 से 5); और (ख) प्रत्यर्थी संख्या 1 रुपये की मरम्मत और रखरखाव शुल्क के बकाया में था। 1364 / - . 5. प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि प्रत्यर्थी नंबर 1 के दादा श्री पी. टी. शाह 1937 से पहले परिसर के मूल किरायेदार थे। उस समय, वह इमारत जिसमें [2018] 2 एस. सी. आर.

परिसर स्थित हैं जो अपीलार्थी के पूर्ववर्ती के स्वामित्व में थे। उत्तरदाता सं। 1 और 2 ने परिसर में अधिकारों के हस्तांतरण का पता लगाया और बताया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 मूल किरायेदार, उनकी बेटी (वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1), श्री आर. सी. वखारिया और श्री के. सी. वखारिया की बहू की एक साझेदारी फर्म थी। यह भी बताया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 को कभी भी शामिल नहीं किया गया था और यह कभी अस्तित्व में नहीं आया था। यह आगे बताया गया कि प्रत्यर्थी Nos.4 और 5 पूरी तरह से मूल किरायेदार के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली निजी लिमिटेड कंपनियां थीं, जिसमें 100% शेयरधारिता और सभी निदेशक मूल किरायेदार और उसके निकटतम परिवार के सदस्यों की बहू थीं। , मूल किरायेदार की बहू, उसकी बेटी, उसके दामाद और उसके पोते। उत्तरदाता को परिसर या उसके किसी भी हिस्से का उप-पट्टा, असाइनमेंट या हस्तांतरण Nos.2 से 5

मना कर दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जोर देकर कहा कि वह परिसर के कब्जे, नियंत्रण और कब्जे में थी और नियमित रूप से रुपये का किराया देती थी।

895 / - अपीलार्थी को प्रति माह। यह भी बताया गया कि प्रतिवादी नंबर 1 किसी भी बकाया राशि में नहीं था। नुकसान की गणना गंभीर रूप से विवादित थी। प्रत्यर्थी Nos.3 से 5 एस्टेट अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए। अपीलार्थी द्वारा संपदा अधिकारी के समक्ष साक्ष्य का नेतृत्व किया गया और उत्तरदाता सं। 1 और 2.

अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोप। तथापि, इसने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अनधिकृत रूप से परिसर को प्रत्यर्थी Nos.2 से 5 तक दे दिया था। संपदा अधिकारी ने यह भी माना कि अपीलकर्ता हर्जाने का हकदार था उत्तरदाताओं से 1 दिसंबर, 2004 से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ कब्जे की बहाली तक प्रति माह <आईडी1,142/- की दर से।

7. प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 ने अधिनियम की धारा 9 के तहत अपीलीय अधिकारी के समक्ष संपदा अधिकारी के उपरोक्त आदेश को चुनौती दी,

नगर सिविल न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के रूप में नामित होने पर मुंबई। अपीलार्थी ने संपदा अधिकारी के निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी क्योंकि उसने अभिनिर्धारित किया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 मरम्मत और रखरखाव शुल्क के बकाया में नहीं था। उक्त निष्कर्ष अंतिम हो गया है।

8. 3 अप्रैल, 2012 के अपने आदेश द्वारा, अपीलीय अधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि (क) साझेदारी फर्म (प्रत्यर्थी संख्या 2) को कोई उपपत्र नहीं दिया गया था, क्योंकि यह स्थापित किया गया था कि यह मूल अधिभोगकर्ता की फर्म थी और (ख)

एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि प्रतिवादी Nos.3 से 5 भी मूल निवासी के थे क्योंकि उनके संविधान को दिखाने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था और इसलिए, यह सबलेटिंग के बराबर था। अपीलीय अधिकारी ने संपदा अधिकारी द्वारा पारित बेदखली के आदेश और ब्याज के साथ नुकसान के आदेश को बरकरार रखा।

2012 की रिट याचिका No.4337 के माध्यम से बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उत्तरदाता सं। 1 और 2 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश को जारी करने और अपीलीय अधिकारी और संपदा अधिकारी के निर्णय और आदेशों को दरकिनार करने का अनुरोध किया। अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी क्योंकि उसने यह अभिनिर्धारित किया था कि प्रत्यर्थी द्वारा कोई उपखंडन नहीं किया गया था साझेदारी फर्म को संख्या 1 (प्रतिवादी संख्या 2)। उक्त निष्कर्ष अंतिम हो गया है।

10. 14 अगस्त 2012 के अपने आदेश द्वारा, बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उनके द्वारा दायर उपरोक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया।

उत्तरदाता सं। 1 और 2 यह अभिनिर्धारित करते हुए कि प्रतिवादी Nos.3 से 5 अलग कानूनी संस्थाएं हैं; नीचे दिए गए अधिकारियों ने समवर्ती रूप से अभिनिर्धारित किया था कि अपीलार्थी ने उस ओर से अपना मामला स्थापित किया था और मामले में अलग दृष्टिकोण रखने के लिए उसके सामने कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी। 11. प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 ने 2012 की लेटर्स पेटेंट अपील No.181 के माध्यम से बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त आदेश को चुनौती दी।

12. बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 12 अक्टूबर, 2012 के अपने आदेश में इस मामले की प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया।

अपीलार्थी ने कहा कि लेटर पेटेंट अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बनाए रखने योग्य नहीं थी और योग्यता के आधार पर अपील को भी अनुमति दी, जिसमें कहा गया था कि यह दर्शाने वाले दस्तावेज कि 100% प्रत्यर्थी Nos.4 और 5 की हिस्सेदारी अधिभोगकर्ता और उसके निकटतम परिवार के सदस्यों की थी और कि प्रत्यर्थी Nos.4 और 5 के सभी निदेशक अधिभोगकर्ता और तत्काल परिवार के सदस्य थे, रिकॉर्ड में थे, जो तथ्य अपीलीय अधिकारी द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि कॉर्पोरेट पर्दा उठाने से यह देखा जा सकता है कि कंपनियाँ अधिभोगियों के बदले अहंकार हैं और कंपनियों के लिए कोई सबलेटिंग नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. लेटर्स पेटेंट अपील की रखरखाव के सवाल पर, उच्च न्यायालय की दृष्टि पीठ ने निम्नलिखित में इसका जवाब दियाः

" 13. सबसे पहले हम विवाद से निपटेंगे

इस लेटर्स पेटेंट अपील की रखरखाव क्षमता। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि पहले की रिट याचिकाएं

के तहत कार्यवाही में पारित आदेशों को चुनौती देना

डिवीजन बेंच द्वारा और इस अदालत की पूर्ण पीठ के फैसले के बाद सार्वजनिक परिसर अधिनियम पर विचार किया जा रहा था। एम/एस के मामले में। प्रकाश सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम। एल. आई. सी. ऑफ इंडिया [2012 (4) बॉम। सी. आर. 1] दिनांक 26 अप्रैल 2012, उन्हें अब एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा जा रहा है। वह.

तर्क दिया कि यदि ऐसी याचिकाओं में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों से अपील पर विचार किया जाता है, तो त्वरित निपटान के लिए एकल न्यायाधीश द्वारा ऐसी याचिकाओं की सुनवाई के लिए नियमों में संशोधन करने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा।

दूसरी ओर अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने याचिका के ज्ञापन और विद्वान एकल न्यायाधीश के विवादित आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि याचिका दायर की गई है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उस पर विचार किया गया था, और तर्क दिया कि इसलिए अपील विचारणीय है।

14. यह सच है कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत पारित आदेश से उत्पन्न याचिकाओं पर सुनवाई

डिवीजन बेंच। यह नुस्ली नेविल वाडिया बनाम के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ के अवलोकन के कारण किया जा रहा था। न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक अन्य [2010 (4) बॉम। सी. आर. 807]। हालाँकि 15 नवंबर 2011 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ ने संदेह व्यक्त किया

नुस्ली नेविल वाडिया (उपरोक्त) के मामले में की गई टिप्पणी की शुद्धता के बारे में और इस मुद्दे को भेजा कि क्या लोक परिसर अधिनियम के तहत पारित आदेशों से उत्पन्न याचिकाओं की सुनवाई खंड पीठ या एकल न्यायाधीश द्वारा विचार के लिए पूर्ण पीठ को की जानी चाहिए। प्रकाश प्रतिभूति [2012 (4) बॉम के मामले में पूर्ण पीठ। सी. आर. 1] (उपर्युक्त) ने पाया कि बंबई उच्च न्यायालय अपीलीय पक्ष नियम 1960 के अध्याय XVII के नियम 18 का खंड 3

भारत के किसी भी एल. आई. सी. द्वारा पारित आदेशों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक था।

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत न्यायिक प्राधिकरण भी है नियम 18 (3) द्वारा कवर किया गया है ताकि यह इंगित किया जा सके कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिकाएं

इस तरह के आदेशों को चुनौती देने के लिए सुनवाई और निर्णय द्वारा किया जाना है

एकल न्यायाधीश। तदनुसार पूर्ण पीठ द्वारा 26 अप्रैल 2012 के अपने निर्णय द्वारा संदर्भ का निपटारा किया गया था। पूर्ण पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलीय पक्ष नियम जैसा कि वे खड़े हैं, यह प्रावधान करते हैं कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत पारित आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सुना जाना आवश्यक है और इसलिए नुस्ली नेविल वाडिया (उपरोक्त) के मामले में की गई टिप्पणियां सही नहीं थीं। लोक परिसर अधिनियम के तहत पारित आदेशों से संबंधित याचिकाओं पर डिवीजन बेंच द्वारा तब विचार किया जा रहा था जब

रखरखाव को किसी अन्य आधार पर चुनौती नहीं दी गई थी। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने दोनों अनुच्छेदों को लागू किया है 226 और भारत के संविधान की धारा 227। विद्वान न्यायाधीश ने विवादित आदेश में उक्त अनुच्छेदों का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा, प्रतिवादी निगम स्वयं एक सार्वजनिक निगम होने के नाते इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। इसलिए प्रारंभिक आपत्ति [2018] 2 एस. सी. आर. में कोई सार नहीं है।

प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया कि

अपील विचारणीय नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। मामले के गुण-दोष को देखे बिना सीमा पर।

14. अपीलार्थी द्वारा की गई यह अपील द्वारा व्यक्त की गई राय पर आक्षेप करती है -

डिवीजन बेंच ने न केवल लेटर्स पेटेंट अपील की स्थिरता पर बल्कि गुण-दोष पर भी, जिसके द्वारा डिवीजन बेंच ने एस्टेट अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को उलट दिया और सिटी सिविल कोर्ट, अपीलीय अधिकारी और विद्वान एकल न्यायाधीश दोनों द्वारा पुष्टि की, जबकि प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। हालाँकि, वर्तमान में तर्क पत्र पेटेंट अपील की स्थिरता के बारे में प्रारंभिक मुद्दे तक ही सीमित है और यदि अपीलार्थी के उस तर्क को स्वीकार किया जाना है, तो हमारे लिए डिवीजन बेंच द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और निष्कर्ष के गुण-दोष के बारे में अपील में उठाए गए अन्य मामले की जांच करना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके बजाय, प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं को उस ओर से विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करना होगा और यदि प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं द्वारा इस तरह के उचित उपाय का सहारा लिया जाता है, तो ही उन कार्यवाहियों में इसका विश्लेषण करना आवश्यक हो जाएगा।

15. अपीलार्थी के अनुसार, धारा 9 की अंतःक्रिया

1971 उसी अधिनियम के अन्य प्रावधानों, जैसे कि धारा 3,8 और 10 के साथ पठित अधिनियम, यह स्पष्ट करता है कि अपीलीय अधिकारी, अर्थात् नगर सिविल न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा 9 के तहत अपील में प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता, सिविल न्यायालय के रूप में उनकी क्षमता में है, न कि व्यक्ति नामित के रूप में। यदि ऐसा है, तो संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उपाय वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में अकेले भारत का लाभ उठाया जा सकता है, न कि अनुच्छेद 226 के तहत, प्रमाण पत्र जारी करने के लिए। में

उपस्थित

मामला, हालांकि प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिका को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक के रूप में लेबल किया गया था, चुनौती की प्रकृति और सार पर विचार करते हुए, तर्क और

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की प्रकृति का पालन केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत किया जा सकता है न कि अनुच्छेद 226 के तहत या उस मामले के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित अनुच्छेद 226 के तहत। नतीजतन, डिवीजन बेंच ने उसी उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील पर विचार करने में स्पष्ट त्रुटि की। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए कि जिला न्यायाधीश/न्यायिक अधिकारी, जिसे 1971 के अधिनियम की धारा 9 में संदर्भित किया गया है, व्यक्ति पदनाम के रूप में शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, ठाकुर दास एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण पर निर्भरता रखी गई है।

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(मृत) एल. आर. बनाम एम. पी. राज्य द्वारा। & Anr.[1] और मुकरी गोपालन बनाम चेप्पिलट पुथनपुरायिल अबूबकर 2, ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा बनाम सीतामड़ी सेंट्रल कॉप बैंक Ltd.[3], सेंट्रल टॉकीज लिमिटेड के मामलों में। बनाम द्वारका प्रसाद, ब्रजनंदन सिन्हा बनाम ज्योति नारायण, विरेंद्र कुमार सत्यवादी बनाम पंजाब राज्य, महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम बनाम जेसी ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स (पी) लिमिटेड और एज़न्यू ड्रम्स (पी) लिमिटेड। बनाम महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम। इस तर्क के समर्थन में कि जिला न्यायाधीश/अपीलीय अधिकारी का आदेश केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगा, राधे श्याम और अन्य बनाम के निर्णय पर भरोसा किया गया है। चब्बी नाथ और अन्य। ' और राम चंदर अग्रवाल और अन्र। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और Anr.[1]0 इस तर्क को राम किशन फौजी बनाम हरियाणा राज्य 1 1 और जोगेंद्रसिंहजी विजयसिंहजी बनाम गुजरात राज्य 1 2 के मामले में स्पष्टीकरण के आधार पर और विस्तार से बताया गया है, जिसमें न्यायालय ने कहा कि पत्र पेटेंट अपील की स्थिरता रिट याचिका में दलीलों, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की प्रकृति और चरित्र और जारी किए गए निर्देशों के प्रकार पर निर्भर करेगी, जो संवैधानिक संदर्भ में क्षेत्राधिकार के परिप्रेक्ष्य में थे। अपीलार्थी ने विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जिसमें रिट याचिकाकर्ताओं (प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं) की ओर से की गई दलीलों को पैराग्राफ 9 से 11 और 15 में और अपीलार्थी की दलीलों को पैराग्राफ 12 और 16 में नोट किया गया है, साथ ही विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पैराग्राफ 19 से 24 में दर्ज किए गए निष्कर्ष भी। यह आग्रह किया गया था कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता स्पष्ट रूप से शक्ति के प्रयोग के लिए उत्तरदायी थी

अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट जारी करने या प्रमाणपत्र की प्रकृति में शक्ति के प्रयोग का नहीं। यह तर्क दिया गया था कि द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील 11978 (1) एससीसी 27

2 1995 (5) एससीसी 5

3 1967 (3) एससीआर 163 4 1961 (3) एससीआर 495

5 $ 1955 (2) एससीआर 955

6 1955 (2) एससीआर 1013

7 1991 (2) एस. सी. सी. 637

8 1971 (3) एस. सी. सी. 602

9 2015 (5) एससीसी 423

10 1966 सप. एससीआर 393 1 1 2017 (5) एससीसी 533

12 2015 (9) एससीसी 1 [2018] 2 एस. सी. आर.

इसलिए, डिवीजन बेंच के समक्ष प्रतिवादियों का विरोध करना विचारणीय नहीं था।

16. इसके विपरीत, प्रतिवादी आग्रह करेंगे कि जिला न्यायाधीश/अपीलीय अधिकारी 1971 के अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग करें

व्यक्ति पदनाम और दीवानी न्यायालय के रूप में नहीं। निर्णयों को शामिल करते हुए

जिसे हम थोड़ी देर बाद विज्ञापित करेंगे, उत्तरदाताओं का तर्क है कि जब कोई विशेष क़ानून एक अपीलीय अधिकारी बनाता है और जहां यह पीठासीन न्यायाधीश को संदर्भित करता है और न्यायालय को ऐसा अपीलीय अधिकारी नहीं, तो यह कहा जा सकता है कि न्यायाधीश को व्यक्ति नामित के रूप में संदर्भित किया गया है। यह भी सर्वविदित है कि जहां प्राधिकरण एक कानून का निर्माण करता है और एक आधिकारिक पदनाम या एक वर्ग के रूप में इंगित या पहचाना जाता है, कानून के प्रावधानों को यह निर्धारित करने के लिए देखा जाना चाहिए कि क्या इरादा उसे व्यक्ति के रूप में अलग करना था।

इसके अलावा, अधिनियम धारा 10 के संदर्भ में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अंतिम रूप देता है, जो इस तथ्य का संकेत है कि अपीलीय अधिकारी एक व्यक्ति पदनाम के रूप में कार्य करता है न कि न्यायालय के रूप में। 1971 के अधिनियम के प्रावधान एक स्व-निहित संहिता है जो सामान्य कानूनों से अलग शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया को निरूपित करती है जैसे - सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता। साथ ही, क़ानून के तहत निपटाए जाने वाले मामलों के संबंध में सामान्य अदालतों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1971 के अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 9 में निर्दिष्ट अपीलीय अधिकारी को न्यायालय की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के निर्वहन के रूप में मानने की अनुमति नहीं है। अधिनियम की धारा 9 में निर्दिष्ट अपीलीय अधिकारी केवल एक व्यक्ति पदनाम के रूप में कार्य करता है।

इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, इस प्रश्न से निपटने वाले उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जिसमें 1971 के अधिनियम की धारा 9 और संबंधित राज्य सार्वजनिक परिसर अधिनियम के अनुरूप प्रावधानों की व्याख्या की गई है, अर्थात्; नुस्ली नेविल वाडिया बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी। लि. बनाम जीवन बीमा निगम। भारत और

Anr.[1]; एन. पी. बेरी बनाम दिल्ली परिवहन निगम "; 13 2010 का राज्य (2) एम. एच. एल. जे. 978

14 2012 (4) बम। सी. आर. 1 15 15 (1979) डीएलटी 108 एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम।

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

मैसूर बनाम पी. शंकरनारायण राव 1; गंगा राम दोहरे बनाम U.P.[1]7 राज्य; और सिजेराली मोहम्मदली लोदिया बनाम गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम। 1 8.

17. इस सवाल से निपटने वाले उच्च न्यायालयों के अन्य फैसलों पर भी भरोसा रखा गया है कि एक न्यायिक अधिकारी के रूप में अपीलीय प्राधिकरण की नियुक्ति को सार्वजनिक परिसर अधिनियम के अलावा अन्य कानूनों के तहत व्यक्ति पदनाम के रूप में कब माना गया है, अर्थात् मैसर्स। पिटमैन की आशुलिपि अकादमी बनाम एम/एस। बी. लीला राम एंड संस "; एम. अब्दुल वाहिद साहिब बनाम. देवंजी अब्दुल खादर साहिब 2 ओ; सी. एस.

बलराम अय्यर और अन्र। बनाम कृष्णन कुंचंडी 2 1; वाई. महाबलेश्वरप्पा बनाम एम. गोपालसामी मुदलियार 2; केशव रामचंद्र बनाम म्यूनिसिपल बरो, जलगांव और Ors.2[3] 23; जगमोहन सूरजमल मारवाड़ी बनाम वेंकटेश गोपाल रानाडे। 24 ; शोलापुर की नगरपालिका बनाम तुलजाराम कृष्णसा चव्हाण; 25 थावसिकानी नादर

बनाम। चुनाव आयुक्त 26; बाथुला कृष्ण ब्राह्मण और अन्य। बनाम. दाराम चेंची रेड्डी और Ors.27

18. हमारा ध्यान अन्य निर्णयों की ओर भी आकर्षित किया गया है जिसमें यह विचार रखा गया है कि अपीलीय प्राधिकारी को व्यक्तिगत नहीं माना जा सकता है। नामित लेकिन सार्वजनिक परिसर अधिनियम और अन्य कानूनों के प्रावधानों से निपटने के दौरान एक न्यायालय के रूप में, अर्थात्, जिंदा राम बनाम यूओआई 2 3; एम. पापा नाइक बनाम आयुक्त शहर नगर परिषद "; सुरिंद्र मोहन

बनाम धरम चंद अब्रोल 3 0; किरण चंद्र बोस बनाम कालिदास चटर्जी 3 1; पी. वेंकट सोमाराजी और अन्य। बनाम। प्राचार्य मुन्सिफ और एस. श्रीनिवास राव बनाम A.P.33 का उच्च न्यायालय हमारा ध्यान है

17 आकाशवाणी 2002 इलाहाबाद 238 18 2001 (2) गुज। एल. आर 1120

29 (1996) 3 कांत एलजे 86 30 ए. आई. आर. 1971 जे एंड के 76

32 आकाशवाणी 1968 एपी 22 33 आकाशवाणी 1989 एपी 258 [2018] 2 एस. सी. आर.

सेंट्रल टॉकीज (ऊपर); राम चंदर अग्रवाल (ऊपर); कलेक्टर, वाराणसी बनाम गौरी शंकर मिश्रा और Ors.34; ठाकुर दास (ऊपर); हंसकुमार किशनचंद बनाम भारत संघ 3-5 और नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 3-6 के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों के लिए भी आमंत्रित किया गया।

19. उत्तरदाताओं ने ओस्बोर्न के संक्षिप्त कानून में दी गई अभिव्यक्ति व्यक्तित्व पदनाम की परिभाषा पर भी भरोसा किया है।

शब्दकोश, 2005 संस्करण और पी. रामनाथ अय्यर का एडवांस लॉ लेक्सिकन, 5 वां संस्करण। प्रत्यर्थियों के अनुसार, इसलिए, प्रत्यर्थियों के लिए उपलब्ध अपीलीय अधिकारी के निर्णय के खिलाफ उपाय केवल अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका के माध्यम से था। संविधान और प्रत्यर्थियों ने, वास्तव में, एक रिट याचिका दायर करके इसका आह्वान किया, जिसे शुरू में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तय किया गया था, जिसके फैसले को उसी उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अंतर-अदालत पत्र पेटेंट अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती थी।

20. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री रंजीत कुमार और विद्वान वकील सुश्री सोनल को उपस्थित होते सुना है। उत्तरदाताओं के लिए।

21. निस्सन्देह, 1971 के अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, वर्तमान अपील में उठाए गए प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया गया है

यह न्यायालय अब तक। इस न्यायालय के निर्णय, जिन्हें दोनों पक्षों द्वारा सेवा में लगाने के लिए दबाव डाला गया है, जिनके पास पदनामित व्यक्ति की अभिव्यक्ति के उद्देश्य की जांच करने का अवसर है, अन्य केंद्रीय प्रावधानों के संदर्भ में हैं।

और राज्य अधिनियम। हालाँकि, उन मामलों में स्पष्टीकरण का हमारे सामने के मुद्दे पर असर पड़ेगा। उसमें, उन मामलों में व्याख्या के अंतर्निहित सिद्धांत को 1971 के अधिनियम और विशेष रूप से धारा 9 के प्रावधानों के संदर्भ में विचाराधीन प्रश्न का उत्तर देने के लिए लागू किया जा सकता है। इसलिए, हम विधायी का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ने से पहले इस न्यायालय के फैसलों का विज्ञापन करना उचित समझते हैं।

1971 के अधिनियम की योजना।

22. तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत ठाकुर दास (उपर्युक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 सी के उद्देश्य के संबंध में दो दलीलों की जांच की। पहला सवाल यह था कि क्या राज्य द्वारा गठित न्यायिक प्राधिकरण

34 ए. आई. आर 1968 एस. सी. 384 35 आकाशवाणी 1958 एससी 947

36 ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1 एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम।

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उक्त प्रावधान के तहत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 ए के तहत लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा किए जा सकने वाले ज़ब्ती के आदेश के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करने के लिए, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एक निम्न आपराधिक न्यायालय नहीं है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के साथ पठित धारा 435 के तहत उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? उक्त तर्क के लिए इस न्यायालय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी कि क्या उक्त अधिनियम की धारा 6 सी के तहत नियुक्त न्यायिक प्राधिकरण व्यक्ति नामित होगा, इस आकस्मिक परिस्थिति के बावजूद कि यह

सत्र न्यायाधीश होता है। रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 7 और 8 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार उल्लेख कियाः

" 7. यदि सत्र न्यायालय की अध्यक्षता करने वाला सत्र न्यायाधीश न्यायिक प्राधिकारी है, तो सवाल यह हैः क्या यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 435 और 439 के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एक निम्न आपराधिक न्यायालय होगा? स्पेक्ट्रम के एक छोर पर निवेदन यह है कि धारा 6-सी के तहत नियुक्त न्यायिक प्राधिकरण व्यक्ति नामित होगा और यदि आकस्मिक परिस्थितियों में नियुक्त न्यायिक प्राधिकरण होगा।

सत्र न्यायाधीश होता है, जबकि धारा 6-सी के तहत एक अपील पर विचार और सुनवाई करते हुए यह एक नहीं होगा

उच्च न्यायालय के अधीनस्थ निचली आपराधिक अदालत और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा उनके आदेश के खिलाफ कोई पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार को अपीलीय मंच नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करते हुए, संसद ने स्पष्ट रूप से अपनी मंशा व्यक्त की कि ऐसा कौन होना चाहिए।

अपीलीय प्राधिकरण। "प्राधिकरण" को अर्हता प्रदान करने वाली "न्यायिक" अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि केवल उस प्राधिकरण को धारा 6-सी के तहत अपीलों पर विचार करने और सुनवाई करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, जिस पर राज्य की न्यायिक शक्ति प्रदान की गई थी। "राज्य की न्यायिक शक्ति" अभिव्यक्ति को होना चाहिए

कार्यकारी शक्ति के विपरीत समझा जाता है। द.

संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से न्यायालयों को राज्य की न्यायिक शक्ति का भंडार होने की परिकल्पना की थी। धारा 6-सी के तहत अपीलीय प्राधिकरण एक न्यायिक प्राधिकरण होना चाहिए। "न्यायिक प्राधिकरण" अभिव्यक्ति का उपयोग करके यह स्पष्ट रूप से था

इंगित किया कि अपीलीय प्राधिकरण एक ऐसा पूर्व विद्यमान प्राधिकरण होना चाहिए जो न्यायिक शक्ति का प्रयोग कर रहा था

राज्य। यदि व्यक्ति पदनाम के रूप में किसी अन्य प्राधिकरण का गठन किया जाना था तो [2018] 2 एस. सी. आर. शब्द को अर्हता प्राप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" विशिष्ट विशेषण "न्यायिक" द्वारा प्राधिकरण। राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने वाला न्यायिक प्राधिकरण एक ऐसा प्राधिकरण है जिसका अपना उच्च और निम्न न्यायालय का पदानुक्रम होता है, प्रक्रिया का कानून जिसके अनुसार वह न्यायिक तरीके से कार्य करने वाली अधिकारिता की प्रकृति के आधार पर उसके समक्ष आने वाले मामलों का निपटारा करेगा। संक्षिप्त अभिव्यक्ति "न्यायिक प्राधिकरण" का उपयोग करने में विधायी इरादा स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि राज्य की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने और न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने वाले कई पूर्व-विद्यमान प्राधिकरणों में से एक हो सकता है -

धारा 6-सी द्वारा परिकल्पित अपीलीय कार्यों के निर्वहन के लिए सक्षम के रूप में नियुक्त किया जाएगा। एक अंतर्निहित सुझाव है जो इंगित करता है कि किसे नियुक्त किया जा सकता है। अपील की अवधारणा में पदानुक्रम और अपीलीय प्राधिकरण शामिल हैं।

अपीलीय प्राधिकरण आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करेगा। कलेक्टर, जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी। सत्र न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है और यह स्थिति अपीलीय निर्णय के लिए सामग्री प्रदान करेगी।

प्राधिकरण। इस संबंध में विधायी इतिहास इस बात पर कुछ प्रकाश डाल सकता है कि "न्यायिक प्राधिकरण" अभिव्यक्ति का उपयोग करके विधायिका का क्या इरादा था। भारत रक्षा नियम, 1962 ने कुछ अधिकारियों को जब्त करने की शक्ति प्रदान की

कुछ परिस्थितियों में आवश्यक वस्तुएँ। जब्ती के खिलाफ राज्य सरकार को एक अपील प्रदान की गई थी जिसका आदेश अंतिम बना दिया गया था। 1966 के संशोधन अधिनियम 25 द्वारा अधिनियम में धारा 6-ए से 6-डी पेश की गई थी। इसने एक मामले में एक बुनियादी बदलाव की शुरुआत की, अर्थात् जब्ती का आदेश चरित्र में दंडात्मक होने के कारण, जिस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाता है, उसे एक अवसर दिया जाता है

न्यायिक प्राधिकारी के पास जाना। इससे पहले की अपील

कार्यकारी अधिकारी किसी अन्य कार्यकारी मंच से झूठ बोलेंगे। परिवर्तन न्यायिक प्राधिकरण के लिए अपील है। इसलिए, अभिव्यक्ति में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि एक पूर्व-विद्यमान न्यायिक प्राधिकरण को धारा 6-सी के तहत अपीलीय प्राधिकरण नियुक्त किया जाना चाहिए। जब धारा 6-सी में निहित प्रावधान की जांच आदेश में ही किए गए एक अन्य प्रावधान की पृष्ठभूमि में की जाती है, तो यह और स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्व-विद्यमान एल. आई. सी. ऑफ इंडिया v.

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

न्यायिक प्राधिकरण को अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया जाना था

धारा 6-सी के तहत। आवश्यक वस्तुओं की जब्ती

यह आरोप कि संबंधित अनुज्ञप्ति आदेश का उल्लंघन किया गया है,

तीन दंड होते हैंः (1) लाइसेंस रद्द करना; (2)

प्रतिभूति जमा की जब्ती; और (3) जब्त की गई राशि की जब्ती

आवश्यक वस्तु, किसी भी अभियोजन के अलावा जो

धारा 7 के तहत शुरू किया जाए। पहले दो के बारे में

दंड एक अपील राज्य सरकार के पास होती है लेकिन

यद्यपि धारा की शुरूआत से पहले तीसरे का सम्मान

6 - सी एक अपील राज्य सरकार के पास होगी, एक अलग

प्रस्थान एक अपीलीय मंच प्रदान करने में किया जाता है जो

वर्णन के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए और न्यायिक परीक्षा को संतुष्ट करना चाहिए

प्राधिकरण। इसलिए, जब सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी

एक न्यायिक प्राधिकरण यह नहीं कहा जा सकता था कि वह व्यक्ति था

नामित किया गया था और एक अदालत के रूप में काम नहीं कर रहा था।

" 8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 7 और 9,

1898 , राज्य को विभिन्न सत्रों में विभाजित करने की परिकल्पना

ऐसे प्रत्येक के लिए प्रभाग और सत्र न्यायालय की स्थापना

प्रभाग, और आगे एक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है

उस न्यायालय की अध्यक्षता करना। सत्र न्यायाधीश उसे प्राप्त करता है

सत्र न्यायालय और इस प्रकार शक्तियाँ और निर्वहन प्राप्त करता है संहिता द्वारा प्रदत्त कार्य। इसलिए, भले ही

धारा 6 सी के तहत नियुक्त न्यायिक प्राधिकरण सत्र है।

न्याय करें इसका मतलब केवल अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश से होगा सत्र न्यायालय और उस न्यायालय के कार्यों का निर्वहन।

यदि सत्र न्यायाधीश का मतलब अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश से है
सत्र न्यायालय और वह नियुक्त अपीलीय है
प्राधिकरण, निष्कर्ष अपरिहार्य है कि वह नहीं था
व्यक्तित्व पदनाम किस अभिव्यक्ति का अर्थ समझा जाता है
एक व्यक्ति को इंगित या एक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया
किसी वर्ग के सदस्य के रूप में या भरने के रूप में निर्धारित व्यक्ति को
एक विशेष चरित्र (सेंट्रल टॉकीज लिमिटेड v. द्वारका
प्रसाद और रामचंद्र बनाम। यू. पी. राज्य) "।

(जोर दिया गया)

उन्होंने उच्च के बीच राय के विभाजन पर भी विचार किया
में प्रयुक्त "न्यायिक प्राधिकरण" अभिव्यक्ति के निर्माण पर
आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 सी। पैराग्राफ 9 से 11 में, यह
उसी का उत्तर निम्नलिखित शब्दों में दियाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 9. धारा 6-सी में प्रयुक्त "न्यायिक प्राधिकरण" अभिव्यक्ति के निर्माण पर उच्च न्यायालयों के बीच राय के विभाजन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। मैसूर राज्य में v. मैसूर उच्च न्यायालय के पांडुरंग पी. नाइक की राय थी कि हालांकि एक जिला और सत्र न्यायाधीश थे अधिनियम की धारा 6-सी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा न्यायिक प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया यह उस क्षमता में धारा 435 के अर्थ के भीतर एक हीन आपराधिक न्यायालय नहीं होगा। यही दृष्टिकोण गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य बनाम में लिया गया था। सी एम शाह। अधिसूचना द्वारा गठित अपीलीय प्राधिकरण के सटीक विनिर्देश को निर्णय से एकत्र नहीं किया जा सका, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अपील की सुनवाई अतिरिक्त द्वारा की गई थी

सत्र न्यायाधीश जो यह इंगित करेगा कि भले ही एक जिला और सत्र न्यायाधीश को "न्यायिक प्राधिकरण" के रूप में नियुक्त किया गया हो, वह अभिव्यक्ति अतिरिक्त सत्रों को समझेगी।

न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश भी अपने समक्ष लंबित ऐसी अपील को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को स्थानांतरित कर सकते हैं जो एक संकेत था कि वह एक व्यक्ति नामित नहीं था। दंड संहिता की कुछ धाराओं का उल्लेख करने के बाद

प्रक्रिया में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 6-सी के तहत अपील की सुनवाई करने वाला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कमतर नहीं है। धारा 435 (1) के अर्थ के भीतर आपराधिक न्यायालय। हमारा ध्यान मध्य प्रदेश राज्य की ओर भी खींचा गया। वसंत कुमार। इस फैसले पर केवल एक संक्षिप्त टिप्पणी दिखाई देती है।

अदालत। 10. इसके विपरीत, इस प्रश्न की जांच लोक अभियोजक (ए. पी.) बनाम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा की गई थी। एल. रामय्या। दो प्रश्न पूर्ण पीठ को भेजे गए थे। पहला थाः क्या जिला और सत्र न्यायाधीश जिसे न्यायिक प्राधिकारी नियुक्त किया गया है

धारा 6 सी के तहत अपीलों की सुनवाई एक व्यक्ति पदनाम है। या एक निम्न आपराधिक न्यायालय, और दूसरा थाः क्या यह एक निम्न आपराधिक न्यायालय होने पर भी, अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण आवेदन उच्च न्यायालय में होगा? पूर्ण पीठ ने एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम में पहले प्रश्न का उत्तर दिया।

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सकारात्मक। अपने निष्कर्षों का सारांश देते हुए, न्यायालय ने कहा कि जब एक न्यायिक प्राधिकरण एक अधिकारी की तरह होता है जो

एक अदालत की अध्यक्षता करने वाले को कार्य करने, न्याय करने और कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए नियुक्त किया जाता है और चूंकि उस प्राधिकरण द्वारा किए गए निर्णयों की अंतिमता या अन्यथा के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, यह एक संकेत है कि प्राधिकरण को एक अदालत के रूप में कार्य करना है, जिस मामले में यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि वे अंतिम हैं या नहीं क्योंकि अदालत के रूप में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की सभी घटनाएं आवश्यक रूप से पालन करेंगी। हम इस निष्कर्ष से व्यापक रूप से सहमत हैं।

11. तदनुसार हमारी राय है कि भले ही

राज्य सरकार एक अपीलीय नियुक्त करने के लिए अधिकृत है।

धारा 6 सी के तहत प्राधिकरण, विधानमंडल ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि ऐसा अपीलीय प्राधिकरण अनिवार्य रूप से एक न्यायिक प्राधिकरण होना चाहिए। चूँकि संविधान के तहत न्यायालय न्यायिक शक्ति का भंडार हैं और न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी का पदनाम न्यायालय के नामकरण से प्राप्त होता है, भले ही नियुक्ति न्यायिक अधिकारी के पदनाम से की गई हो, अपीलीय प्राधिकरण ने संकेत दिया है कि वह न्यायालय है जिस पर वह प्रासंगिक संहिता के तहत कार्यों का निर्वहन करता है और अपील और संशोधन के उद्देश्यों के लिए न्यायालयों के पदानुक्रम में रखा जाता है। इस दृष्टिकोण से देखते हुए, सत्र न्यायाधीश, हालांकि नियुक्त किए गए थे

और अधिसूचना द्वारा अपीलीय प्राधिकरण, राज्य सरकार ने जो किया वह एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन करना था

सत्र न्यायालय जिसकी अध्यक्षता सत्र न्यायाधीश करता है।

सत्र न्यायालय का गठन दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया है और निर्विवाद रूप से यह एक निम्न आपराधिक न्यायालय है।

उच्च न्यायालय के संबंध में। अतः धारा 6-सी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण आवेदन होगा और उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 435 और 439 के तहत पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करने का हकदार होगा जो प्रासंगिक समय पर लागू था और ऐसा पुनरीक्षण।

आवेदन सक्षम होगा।

(जोर दिया गया)

8] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. उसी निर्णय के पैराग्राफ 8 में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला कि 'सत्र न्यायाधीश' नाम का अर्थ है न्यायाधीश।

सत्र न्यायालय की अध्यक्षता करते हुए और यह कि नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि वह व्यक्तिगत नहीं था

पदनाम, जिसे अभिव्यक्ति का अर्थ एक व्यक्ति के रूप में इंगित या वर्णित किया गया है, एक वर्ग के सदस्य के रूप में या एक विशेष चरित्र को भरने वाले व्यक्ति के विपरीत समझा जाता है। ये टिप्पणियां सेंट्रल टॉकीज लिमिटेड (ऊपर) और राम चंदर अग्रवाल (ऊपर) के मामलों में निर्णय पर आधारित हैं।

24. एक अन्य निर्देशात्मक व्याख्या मुकरी गोपालन (उपरोक्त) में है।

(दो न्यायाधीश)। इस मामले में, न्यायालय को केरल भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1965 की धारा 18 पर विचार करने के लिए कहा गया था। इसी में परिकल्पना की गई है कि अपीलीय प्राधिकरण की शक्ति सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों और ऐसे प्राधिकरणों को प्रदान की जा सकती है जो अधीनस्थ न्यायाधीश के पद से कम नहीं हैं। पैराग्राफ 7 में, इस न्यायालय ने इस अच्छी तरह से स्थापित स्थिति को दोहराया कि यदि किसी नामित व्यक्ति या व्यक्ति को शक्तियां प्रदान की जाती हैं तो किसी प्राधिकरण को व्यक्ति पदनाम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

अधिकार और ऐसी शक्तियों का प्रयोग कोई और नहीं कर सकता है। रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 7 का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" 7. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि अपीलीय प्राधिकारी, अर्थात्

जिला न्यायाधीश, थालास्सेरी ने यह विचार रखा है कि चूंकि वह एक नामित व्यक्ति है, इसलिए वह धारा 5 का सहारा नहीं ले सकता है।

उसके समक्ष अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए सीमा अधिनियम। जहाँ तक अपीलीय प्राधिकारी के इस तर्क का संबंध है, श्री नरीमन, प्रतिवादी के विद्वान वकील

निष्पक्ष रूप से कहा गया है कि वह इस तर्क का समर्थन नहीं करते हैं और यह उनका कहना नहीं है कि किराया अधिनियम की धारा 18 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाला अपीलीय प्राधिकरण एक व्यक्ति नामित है। में।

प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील द्वारा लिया गया उक्त उचित रुख हमारा विचार पूरी तरह से उचित है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यदि शक्तियाँ किसी नामित व्यक्ति या प्राधिकरण को प्रदान की जाती हैं और ऐसी शक्तियों का प्रयोग किसी और द्वारा नहीं किया जा सकता है तो किसी प्राधिकरण को व्यक्ति पदनाम के रूप में शैलीबद्ध किया जा सकता है। जिस अधिनियम की योजना का हमने पहले उल्लेख किया है, वह इस तरह के अपीलीय प्राधिकरण को एक व्यक्ति नामित होने का विरोध करती है। यह स्पष्ट है कि धारा 18 (1) के तहत गठित अपीलीय प्राधिकरण को पक्षकारों के बीच न्यायिक तरीके से निर्णय लेना है और अपने आदेश के संशोधन के अधीन, निर्णय एल. आई. सी. ऑफ इंडिया v.

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

पक्षों के बीच अंतिम बने रहें। ऐसा प्राधिकारी उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिले के जिला न्यायाधीश के रूप में पदनाम द्वारा गठित किया जाता है जिस पर उक्त अधिनियम

अपीलीय प्राधिकारी एक व्यक्ति नामित होने के नाते या एक नामित व्यक्ति के रूप में अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते जैसा कि मान लिया गया है वर्तमान मामले में, अधिनियम की योजना पर ऐसा कोई परिणाम नहीं होगा। इस संबंध में, सेंट्रल टॉकीज लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी है। द्वारका प्रसाद। उस मामले में हिदायतुल्ला, जे.

न्यायालय को इस बात पर विचार करना था कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 10 (2) के तहत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति नामित था। इस तर्क को खारिज करते हुए कि वह एक व्यक्ति नामित था, विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं:

' ..... एक व्यक्तित्व पदनाम वह व्यक्ति है जिसे किसी व्यक्ति के विपरीत एक व्यक्ति के रूप में इंगित या वर्णित किया जाता है। किसी वर्ग के सदस्य के रूप में या किसी विशेष वर्ग को भरने के रूप में निर्धारित किया गया

न्यायाधीशों के रूप में अपनी क्षमता में नहीं, बल्कि अपनी निजी क्षमता में कार्य करने के लिए चुना गया। यही विचार अपने पद के आधार पर नामित जिला मजिस्ट्रेट जैसे प्रसिद्ध अधिकारी पर भी लागू होता है, और जिसकी शक्तियों का प्रयोग अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भी कर सकता है और जो अन्य शक्तियों का सृजन कर सकता है। बेदखली अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपने बराबर के अधिकारी। इलाहाबाद मामले में सप्रू, जे. का निर्णय,

सम्मान, गलत था।

वर्तमान मामले के तथ्यों पर उक्त परीक्षण को लागू करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किराया अधिनियम की धारा 18 के तहत गठित अपीलीय प्राधिकरण जिला न्यायाधीश [2018] 2 एस. सी. आर. हैं।

उन्होंने एक वर्ग का गठन किया और माना नहीं जा सकता है

व्यक्तित्व पदनाम। यह सच है कि इस संबंध में,

जोक्किम फर्नांडीस बनाम में उच्च न्यायालय का बहुमत निर्णय।

अमीना कुन्ही उम्मा ने भी इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। लेकिन उन्होंने कहा कि

दृष्टिकोण भी वैधानिक के प्रकाश में जांच के लिए खड़ा नहीं है

अपीलीय प्राधिकरण के गठन के संबंध में योजना

अधिनियम और उन्हें प्रदत्त शक्तियाँ और निर्णय

उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया "।

(जोर दिया गया)

इसके पैराग्राफ 8 और 13 में दिए गए विवरण का विज्ञापन करने के लिए उपयोगी होगा, जो इस प्रकार हैः

" 8. एक बार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलीय प्राधिकरण कार्य कर रहा है

किराया अधिनियम की धारा 18 के तहत एक व्यक्ति नामित नहीं है,

यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक अदालत के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में

के तहत अपीलीय प्राधिकरणों के रूप में गठित किए जाते हैं सरकार द्वारा धारा 18। अधिसूचना पहले नोट की गई थी। ये

जिला न्यायाधीशों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं

अपीलीय प्राधिकरण। इसलिए, यह स्पष्ट हो जाता है कि जबकि मकान मालिक और उसके बीच के विवाद पर निर्णय लेना।

किरायेदार और यह सवाल तय करते समय कि क्या किराया

नियंत्रण न्यायालय का आदेश उचित है या ऐसा अपीलीय नहीं है।

अधिकारी अदालतों के रूप में काम करेंगे। परीक्षण के लिए

यह निर्धारित करना कि क्या प्राधिकरण न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है

या इस के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है अदालत। ठाकुर के मामले में हम उनमें से एक का उल्लेख कर सकते हैं।

जुगल किशोर सिन्हा बनाम। सीतामढ़ी सेंट्रल कॉप। बैंक लिमिटेड

उस मामले में यह अदालत इस सवाल से संबंधित थी

क्या सहकारी समितियों के सहायक पंजीयक

बिहार और उड़ीसा की धारा 48 के तहत कार्य करना

सहकारी समिति अधिनियम, 1935 एक अधीनस्थ न्यायालय था -

न्यायालय अवमानना अधिनियम के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय,

1952. सकारात्मक रूप में प्रश्न का उत्तर देते हुए, ए

इस अदालत की खंड पीठ ने मित्तर, जे के माध्यम से बोलते हुए कहा

में पाए गए अवलोकनों पर दूसरों के बीच निर्भरता

ब्रजनंदन सिन्हा बनाम का मामला ज्योति नारायण जहाँ यह था निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

' अतः यह स्पष्ट है कि इस शब्द के सख्त अर्थों में न्यायालय का गठन करने के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि -

न्यायालय के पास न्यायिक न्यायाधिकरण की कुछ विशेषताओं के अलावा, एक निर्णय या एक निश्चित निर्णय देने की शक्ति होनी चाहिए जिसमें अंतिमता और आधिकारिकता हो जो न्यायिक घोषणा की आवश्यक कसौटी हो।

विरिंदर कुमार सत्यवादी बनाम के मामले में इस अदालत के एक अन्य फैसले पर भी रिलायंस को रखा गया था। पंजाब राज्य। पृष्ठ 1018 पर पाई गई निम्नलिखित टिप्पणियों को सेवा में लगाया गया था।

' यह व्यापक रूप से कहा जा सकता है कि एक अदालत को अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण से जो अलग करता है, वह यह है कि उस पर न्यायिक तरीके से विवादों का फैसला करने का कर्तव्य है और घोषणा करता है कि एक निश्चित निर्णय में पक्षों के अधिकार। न्यायिक तरीके से निर्णय लेने में यह शामिल है कि पक्षकारों को अपने दावे के समर्थन में सुनवाई के अधिकार के रूप में और इसके प्रमाण में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है। और यह प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर मामले का फैसला करने का दायित्व भी रखता है।

कानून के अनुसार। इसलिए जब कोई सवाल उठता है कि

क्या किसी अधिनियम द्वारा बनाया गया प्राधिकरण न्यायालय है

एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण से अलग, यह तय किया जाना है कि क्या अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इसमें अदालत के सभी गुण हैं।

जब यह तय करने के लिए कि कोई प्राधिकरण अदालत है या नहीं, उपरोक्त अच्छी तरह से तय किए गए परीक्षण किराया अधिनियम की धारा 18 के तहत गठित अपीलीय प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों पर लागू होते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अदालत के रूप में ऐसे प्राधिकरण का गठन करने के लिए उपरोक्त सभी आवश्यक ट्रैपिंग मौजूद पाए जाते हैं। वास्तव में, श्री नरीमन ने सीखा

प्रत्यर्थी के वकील ने यह भी उचित रूप से कहा कि ये अपीलीय प्राधिकरण अदालतें होंगी और व्यक्तिगत नहीं होंगी।

पदनाम। लेकिन उनके प्रस्तुतिकरण में क्योंकि वे सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गठित और कार्य करने वाले दीवानी न्यायालय नहीं हैं इस प्रकार, वे सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के दायरे से बाहर हैं। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम सीमा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान की ओर मुड़ें। यह नीचे लिखा है:

29 (2) . जहाँ कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी के लिए निर्धारित करता है

अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से भिन्न सीमा की अवधि का वाद, अपील या आवेदन, धारा 3 के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और इसके उद्देश्य के लिए -

किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी भी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की किसी भी अवधि का निर्धारण करना,

धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल उस हद तक लागू होंगे, और जिस हद तक वे ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं।

उपरोक्त प्रावधान पर केवल एक नज़र डालने से पता चलता है कि किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर इसकी प्रयोज्यता और सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 वाले प्रावधानों के तंत्र को आयात करने के लिए उक्त प्रावधान को लागू करने वाले प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित दो आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

(i) किसी भी वाद, अपील या आवेदन के संबंध में किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत सीमा की अवधि का प्रावधान होना चाहिए।

((ii) इस तरह के विशेष या स्थानीय कानून के तहत सीमा की अवधि का उक्त निर्देश सीमा अधिनियम की अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से अलग होना चाहिए।

(जोर दिया गया)

" 13. इस उप-धारा के अनुसार, में निहित प्रावधान

सीमा अधिनियम की कुछ धाराएँ लागू की गईं

विशेष कानूनों के तहत अवधियों को स्वचालित रूप से निर्धारित करने के लिए, और अन्य धाराओं में निहित प्रावधानों को केवल तभी लागू होने के लिए कहा गया था जब उन्हें विशेष कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं किया गया था। अपील करने और आवेदन करने में देरी को माफ करने की अदालत की शक्ति से संबंधित प्रावधान (धारा 5) बाद की श्रेणी के तहत आया। इसलिए यदि धारा 5 में निहित देरी को माफ करने की शक्ति का उपयोग अपीलीय निकाय द्वारा किया जाना था, तो इसे विशेष कानून द्वारा प्रदान किया जाना था। यही कारण है कि हम कई विशेष कानूनों में इस आशय का प्रावधान पाते हैं कि धारा में प्रावधान निहित है।

5 सीमा अधिनियम की धारा विशेष कानून के तहत कार्यवाही पर लागू होगी। विशेष कानूनों के तहत कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्र कभी-कभी भारत के साधारण एल. आई. सी. को दिया जाता है।

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अदालतें, और कभी-कभी अलग-अलग न्यायाधिकरणों को दी जाती हैं

विशेष कानून के तहत। जब विशेष कानून प्रदान करता है कि

धारा 5 में निहित प्रावधान लागू होगा

इसके तहत कार्यवाही, यह वास्तव में शक्ति का एक प्रदान है

विशेष के तहत न्यायाधिकरणों को धारा 5 के तहत अदालत का कानून-चाहे ये न्यायाधिकरण अदालतें हों या नहीं। अगर ये

विशेष कानून के तहत न्यायाधिकरणों में अदालतें होनी चाहिए

ऐसे मामलों में जहां विशेष कानून ने अलग-अलग न्यायाधिकरण बनाए हैं विशेष के तहत उत्पन्न होने वाले पक्षों के अधिकारों का निर्णय करना

कानून। यह विधायिका का इरादा नहीं है। '

(जोर दिया गया)

25. फिर से एज़न्यू ड्रम्स प्राइवेट के मामले में। लिमिटेड (ऊपर), तय किया गया

तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा, इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 32 (9) के तहत एक अपील उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय थी। उक्त अधिनियम की धारा 31 (1) में बोर्ड से एक औद्योगिक संस्था की सीमा के भीतर जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की अपेक्षा की गई थी जो अपने व्यवसाय के पूरे या पर्याप्त हिस्से को या निर्दिष्ट एक या अधिक राहतों के लिए कर रहा था। इस तरह का आवेदन अन्य बातों के साथ-साथ गिरवी रखी गई, गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री के आदेश के लिए या ऋण या अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में या हस्तांतरण या इसकी मशीनरी या संयंत्र को हटाने के लिए एक विज्ञापन-अंतरिम के लिए किया जा सकता है या

बोर्ड की अनुमति से औद्योगिक संस्था के परिसर से उपकरण, जहां इस तरह के हटाने की आशंका है। सवाल यह है

इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया कि क्या संबंधित अधिनियम की धारा 32 (8) में "सी. पी. सी. में प्रदान किए गए तरीके" शब्दों का उपयोग करके, विधायिका ने अपीलों से संबंधित संहिता के प्रावधानों को शामिल करने का इरादा किया था। न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित शब्दों में इसका उत्तर दियाः

" 10. वास्तव में जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या इसका उपयोग करके

खंड में "सी. पी. सी. में दिए गए तरीके से" शब्द

32 (8) विधानमंडल में प्रावधानों को शामिल करने का इरादा है

अपीलों से संबंधित संहिता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सी. पी. सी. एक आदेश को अलग करने या अलग करने से इनकार करने के लिए

डिक्री के निष्पादन में बिक्री आदेश XLIII के तहत अपील योग्य है। नियम 1 (जे)। यह समझना मुश्किल है कि इसका दायरा क्यों

अपीलों को शामिल नहीं करके भाषा में कटौती की जानी चाहिए [2018] 2 एस. सी. आर.

सी. पी. सी. के तहत "सी. पी. सी. में दिए गए तरीके से" शब्दों के दायरे में प्रदान किया गया है। " "रीति" का अर्थ है प्रक्रिया का तरीका और अपील के लिए प्रावधान करना प्रक्रिया का एक तरीका प्रदान करना है। राज्य वित्तीय निगम भारी राशि उधार देता है और हम एक पल के लिए भी यह कल्पना नहीं कर सकते कि जिला न्यायाधीश द्वारा पारित संपत्ति की बिक्री के आदेश को अंतिम और केवल संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील के अधीन रखना विधानमंडल का इरादा था।

11. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि, जहां भी विधानमंडल अपील के लिए प्रावधान करना चाहता है

उच्च न्यायालय ने ऐसा विशेष रूप से किया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि धारा 32 की उप-धारा (9) में यह प्रावधान है कि "कोई भी पक्ष जो उप-धारा (5) के तहत किसी आदेश से व्यथित है या

उप-धारा (7) आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकती है और ऐसी अपील पर उच्च न्यायालय, पक्षों को सुनने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे। यह सच है कि इस मामले में एक अपील का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, लेकिन इसका कारण यह है कि यदि उप-धारा (9) में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था, तो कोई अपील अन्यथा नहीं होगी क्योंकि यह उप-धारा (5) या उप-धारा (7) में प्रदान नहीं किया गया है कि जिला न्यायाधीश को सी. पी. सी. में प्रदान किए गए तरीके से आगे बढ़ना चाहिए।

क्योंकि धारा 32 की उप-धारा (11) में प्रावधान है कि "इस धारा के तहत एक जिला न्यायाधीश के कार्य होंगे - प्रयोग करने योग्य (क) किसी प्रेसीडेंसी नगर में, जहां अधिकारिता रखने वाला नगर सिविल न्यायालय है, उस न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा और ऐसे न्यायालय के अभाव में, उच्च न्यायालय द्वारा; और (ख) कहीं और, एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा भी। इन प्रावधानों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जिला न्यायाधीश नामित व्यक्ति नहीं है।

13. यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम का पूरा विचार तेजी से निष्पादन करना था क्योंकि अन्यथा राज्य वित्तीय निगम के बड़े धन को निष्पादन कार्यवाही के दौरान बंद कर दिया जाएगा। यदि यह विधानमंडल का इरादा होता, तो यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करता कि एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम कोई अपील नहीं।

की उप-धारा (8) के तहत किए गए आदेश के खिलाफ होगा धारा 32 "।

(जोर दिया गया)

अदालत ने राय दी कि विधायी इरादा पूरी तरह से स्पष्ट था कि जिला न्यायाधीश एक व्यक्ति नामित नहीं था।

26. एक बार फिर, महाराष्ट्र राज्य वित्तीय के मामले में

सेंट्रल टॉकीज लिमिटेड (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के निर्णय के बाद, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा राज्य वित्तीय निगम, 1951 के प्रावधानों पर विचार करते हुए निगम (उपर्युक्त) ने दोहराया कि अधिनियम की धारा 31 और 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला जिला न्यायाधीश नामित व्यक्ति नहीं था, बल्कि सामान्य नागरिक अधिकार क्षेत्र का न्यायालय था। इसे फैसले के पैराग्राफ 26 में दिए गए कथन से समझा जा सकता है जो इस प्रकार हैः

" 26. हम अब यह मानने के लिए अपने कारण बता सकते हैं, भले ही

अधिनियम की धारा 46 बी के प्रावधान नहीं थे

एक जमानतदार के खिलाफ एक डिक्री के निष्पादन के लिए संहिता जिसके पास था

केवल व्यक्तिगत गारंटी दी जाएगी, किसी के अभाव में

अधिनियम में इसके विपरीत प्रावधान लागू होगा। नज़र में

क्षमता, और किसी विशेष को भरने की अपनी क्षमता में नहीं चरित्र या पद, धारा 31 (1) में प्रयुक्त शब्द के बाद से

अधिनियम "जिला न्यायाधीश" है इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि

जिला न्यायाधीश एक व्यक्ति नामित नहीं है, बल्कि एक अदालत है।

अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए साधारण नागरिक अधिकारिता

अधिनियम की धारा 31 और 32। राष्ट्रीय सिलाई धागे में

कं. लिमिटेड बनाम। जेम्स चैडविक एंड ब्रदर्स। लिमिटेड को पीछे हटाते हुए आपत्ति है कि लेटर्स पेटेंट के तहत अपील

एकल न्यायाधीश का निर्णय इसके विरुद्ध एक अपील में पारित किया गया

व्यापार की धारा 76 (1) के तहत पंजीयक का निर्णय

अंक अधिनियम, 1940 बनाए रखने योग्य नहीं था, यह पृष्ठों पर आयोजित किया गया था।

1033-34 रिपोर्ट के बारे में: (एससीआर पीपी। 1033-34)

' जाहिर है कि अपील उच्च न्यायालय में पहुँचने के बाद यह

अभ्यास के नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाना है और

उस न्यायालय की प्रक्रिया और उसके अनुसार उस चार्टर के प्रावधान जिसके तहत उस न्यायालय का गठन किया गया है [2018] 2 एस. सी. आर.

और जो उसे उस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की विधि और तरीके के संबंध में शक्ति प्रदान करता है। नियम अच्छी तरह से तय है

कि जब कोई कानून यह निर्देश देता है कि कोई अपील पहले से स्थापित न्यायालय में होगी, तो उस अपील को उस न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। इस नियम को विस्काउंट हाल्डेन एल. सी. ने नेशनल में बहुत संक्षिप्त रूप से कहा था।

टेलीफोन कं, लिमिटेड बनाम। पोस्टमास्टर-जनरल, इन शब्दों में: ' जब कहा जाता है कि कोई प्रश्न बिना अधिक के किसी स्थापित न्यायालय को भेजा जाता है, तो यह, मेरी राय में, यह बताता है कि उस न्यायालय की प्रक्रिया की सामान्य घटनाओं को संलग्न करना है, और

यह भी कि इसके निर्णय से अपील करने का कोई भी सामान्य अधिकार

इसी तरह संलग्न करता है। '

अडैकप्पा चेट्टियार बनाम में प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप्स द्वारा भी यही विचार व्यक्त किया गया था। आर. चंद्रशेखर थेवर, जिसमें कहा गया था:

' जहाँ कोई कानूनी अधिकार विवाद में है और देश के सामान्य न्यायालयों को इस तरह के विवाद का सामना करना पड़ता है, वहाँ न्यायालय हैं -

उस पर लागू प्रक्रिया के सामान्य नियमों द्वारा शासित और एक अपील निहित है यदि ऐसे नियमों द्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके बावजूद कि दावा किया गया कानूनी अधिकार एक विशेष क़ानून के तहत उत्पन्न होता है जो शर्तों में अपील का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

पुनः भारत के राज्य सचिव बनाम। चेल्लिकानी रामा राव, मद्रास वन अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई करते हुए

उनके अधिपत्यों का पालन इस प्रकार किया गया:

' अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि भारत में न्यायालयों में या अपील के माध्यम से आगे की सभी कार्यवाहियां अक्षम थीं, जिन्हें अभी-अभी उद्धृत क़ानून की शर्तों द्वारा बाहर रखा गया था। उनके लॉर्डशिप्स की राय में यह आपत्ति अच्छी तरह से आधारित नहीं है। उनका विचार है कि जब इस चरित्र की कार्यवाही जिला न्यायालय तक पहुँचती है, तो उस न्यायालय से अपील की जाती है -

देश के सामान्य न्यायालयों में से एक के रूप में, जिसकी प्रक्रिया, आदेश और फरमानों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के सामान्य नियम लागू होते हैं। यद्यपि उपरोक्त नियम निर्धारित करने वाले मामलों के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों के बिल्कुल समान नहीं थे, एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम।

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उसमें प्रतिपादित सिद्धांत सामान्य अनुप्रयोग में से एक है

और तथ्यों के लिए एक उपयुक्त अनुप्रयोग है और वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ। व्यापार की धारा 76

प्रदत्त अपीलीय अधिकारिता के रूप में अभिगृहीत किया जा रहा है धारा 76 द्वारा उसे उसी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना होगा।

जिस तरह से वह अपने अन्य अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है और

जब ऐसी अधिकारिता का प्रयोग एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, तो उसकी

निर्णय के खंड 15 के तहत अपील के अधीन हो जाता है

पत्र पेटेंट व्यापार में इसके विपरीत कुछ भी नहीं है

अंक अधिनियम।

(जोर दिया गया)

27. अभिव्यक्ति व्यक्तित्व के उद्देश्य के बारे में प्रश्न

इस न्यायालय द्वारा तय किए गए अन्य मामलों में भी विचार के लिए नामित किया गया था, जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। रामचंद्र अग्रवाल (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय को इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या जिला न्यायाधीश को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए संदर्भ को किसी विशेष को स्थानांतरित करने का अधिकार क्षेत्र है।

पुलिस की एक रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट के समक्ष शुरू की गई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 के तहत दीवानी अदालत ने एक अन्य दीवानी अदालत को आदेश दिया। न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय पर भरोसा किया बालकृष्ण उदयार बनाम वासुदेव अय्यर, 37 का मामला और रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 3 में कहा गया हैः

" 3. बालकृष्ण उदयार बनाम। वासुदेव अय्यर 44 आई. ए. 261,

लॉर्ड एटकिंसन ने एक के बीच के अंतर को इंगित किया है

व्यक्ति पदनाम और एक कानूनी न्यायाधिकरण। फर्क यह है कि

यह है कि 'एक व्यक्तित्व पदनाम का निर्धारण नहीं है

कानूनी न्यायाधिकरण के निर्णयों के रूप में माना जाएगा। केंद्र में

अभिव्यक्ति व्यक्तित्व पदनाम को दिया गया अर्थ ओसबोर्न संक्षिप्त कानून शब्दकोश, 4 एच संस्करण। पी। 263 ए के रूप में

व्यक्ति जिसे एक व्यक्ति के रूप में इंगित या वर्णित किया गया है,

किसी वर्ग के सदस्य के रूप में अभिनिर्धारित व्यक्ति का विरोध करना, या

एक विशेष चरित्र को भरने के रूप में। धारा 146 (1) Cr.P.C।

मजिस्ट्रेट को इस प्रश्न को संदर्भित करने का अधिकार देता है कि क्या

किसी भी, और यदि ऐसा है, तो किस पक्ष के कब्जे में था

सक्षम अधिकार क्षेत्र का दीवानी न्यायालय। उल्लेख करने की शक्ति नहीं है मामला किसी विशेष दीवानी न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के पास

अदालत। इस प्रकार जहां एक विशेष या स्थानीय क़ानून एक को संदर्भित करता है एक न्यायालय के रूप में गठित न्यायालय और इसका उल्लेख नहीं करता है

उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का संदर्भ नहीं कहा जा सकता है।

एक व्यक्ति नामित होना। यह सवाल अच्छी तरह से हल किया गया है। यह है, इसलिए इस बारे में कुछ और कहने की जरूरत नहीं है।

मामले को छोड़कर कि मुद्दे से निपटने वाले मामले किए गए हैं चतुर मोहन बनाम में हाल के निर्णय में अच्छी तरह से संक्षेपित किया गया है।

राम बिहारी दीक्षित '।

(जोर दिया गया)

28. इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर आगे विस्तार करें, यह संतोषजनक है।

1971 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का नोट, जो लागू थे

22 जून, 2015, वर्तमान मामले पर लागू होता है। वही पढ़ा।

" 2. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है, 1 [***]

(ख) 'संपदा अधिकारी' से धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी अभिप्रेत है;

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

((च) इस धारा के खंड (ङ) में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों के संबंध में 'सांविधिक प्राधिकारी' का अर्थ है -

((i) नियंत्रण में रखे गए सार्वजनिक परिसरों के संबंध में संसद के किसी भी सदन का सचिवालय, संसद के संबंधित सदन का सचिवालय,

((ii) मद (i) में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों के संबंध में

उपखंड (2) और उस खंड के उपखंड (3) की मद (iv) में एल. आई. सी. ऑफ इंडिया v.

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उसमें, ((iv) क्रमशः निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों के संबंध में,

वहाँ तक, और (v) उस खंड के उपखंड (3) में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों के संबंध में, परिषद, निगम या

निगम, समिति या प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, उस उपखंड में गलती करते हैं।

" 3. संपदा अधिकारियों की नियुक्ति। - केंद्र सरकार

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, (क) ऐसे व्यक्तियों को, जो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं या वैधानिक प्राधिकरण के समकक्ष पद के अधिकारी हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपत्ति अधिकारी के रूप में नियुक्त करें।

बशर्ते कि राज्य सभा का कोई भी अधिकारी या सचिवालय राज्य सभा के सभापति और राज्य सभा के किसी भी अधिकारी के साथ परामर्श के बाद के अलावा इस तरह से नियुक्त नहीं किया जाएगा।

लोकसभा का सचिवालय इस प्रकार नियुक्त किया जाएगा सिवाय इसके कि -

लोकसभा अध्यक्ष के साथ परामर्श के बादः

बशर्ते कि एक सांविधिक प्राधिकारी का एक अधिकारी

केवल उस प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक परिसरों के संबंध में एक संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा; और (ख) स्थानीय सीमाओं को परिभाषित करें जिनके भीतर, या सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियां जिनके संबंध में, संपदा अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे, और लगाए गए कर्तव्यों का पालन करेंगे।

" 8. संपदा अधिकारियों की शक्ति। - एक संपदा अधिकारी, के लिए

इस अधिनियम के तहत कोई भी जांच करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक मुकदमे का मुकदमा करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत एक दीवानी अदालत में निहित समान शक्तियां हैं, अर्थात्ः

और शपथ पर उसकी जाँच करना; (ख) दस्तावेजों की खोज और उत्पादन की आवश्यकता;

((ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

" 9. अपील करते हैं। — (1) अधीन किसी भी सार्वजनिक परिसर के संबंध में किए गए संपदा अधिकारी के प्रत्येक आदेश से एक अपील होगी।

धारा 5 या धारा 5 ख या धारा 5 ग या धारा 7 एक अपीलीय अधिकारी को, जो उस जिले का जिला न्यायाधीश होगा जिसमें सार्वजनिक परिसर स्थित हैं या उस जिले में ऐसा अन्य न्यायिक अधिकारी जो कम से कम दस वर्ष का है, जिला न्यायाधीश के रूप में इस संबंध में नामित कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत अपील को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) धारा 5 ग के तहत किसी आदेश की अपील के मामले में, ऐसे आदेश की तारीख से बारह दिनों के भीतरः बशर्ते कि अपीलीय अधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलार्थी को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(3) जहां संपदा अधिकारी के आदेश से अपील की जाती है, वहां अपीलीय अधिकारी उस आदेश के प्रवर्तन पर ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर रोक लगा सकता है जो वह उचित समझता हैः

बशर्ते कि जहां किसी का निर्माण या निर्माण

जिस दिन ऐसी इमारत या अन्य संरचना या स्थिरता या किसी अन्य कार्य का निष्पादन उस दिन पूरा नहीं किया गया था जिस दिन ऐसी इमारत या अन्य संरचना या स्थिरता को ध्वस्त करने या हटाने के लिए धारा 5 बी के तहत आदेश दिया गया था, अपीलीय अधिकारी ऐसे आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए कोई आदेश नहीं देगा, जब तक कि ऐसी प्रतिभूति, जो भारत के एल. आई. सी. v. में पर्याप्त हो।

नंदीनी जे. शाह एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अपीलीय अधिकारी की राय दी गई है

इस तरह के निर्माण, निर्माण के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए अपीलार्थी या अपील के निपटारे तक काम करना;

(4) इस धारा के तहत प्रत्येक अपील का निपटारा किया जाएगा -

अपीलीय अधिकारी जितनी जल्दी हो सके।

(5) इस धारा के तहत किसी भी अपील की लागत में होगी अपीलीय अधिकारी का विवेकाधिकार।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक प्रेसीडेंसी-टाउन

जिला माना जाए और मुख्य न्यायाधीश या प्रधान

नगर दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को जिले का जिला न्यायाधीश माना जाएगा।

(जोर दिया गया)

" 10. आदेशों की अंतिमता। - अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए रूप में सहेजें

इस अधिनियम में, किसी संपत्ति अधिकारी या अपीलीय द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश

इस अधिनियम के तहत अधिकारी अंतिम होगा और उसे नहीं बुलाया जाएगा।

किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन में विचाराधीन

कार्यवाही और किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकरण द्वारा की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।

इसके द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में लिया गया

अधिनियम "।

" 15. अधिकारिता का बार। - किसी भी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा -

के संबंध में किसी भी वाद या कार्यवाही पर विचार करें

(ए) किसी भी व्यक्ति को बेदखल करना जो अनधिकृत है

किसी सार्वजनिक परिसर का कब्जा, या

(ख) किसी भी भवन, संरचना या स्थिरता या सामान को हटाना,

किसी भी सार्वजनिक परिसर से मवेशी या अन्य जानवर

धारा 5 क, या

(ग) बनाई गई किसी भी इमारत या अन्य संरचना का विध्वंस,

या धारा 5 ख के तहत किए जाने का आदेश दिया गया है, या

((ग) किसी निर्माण या कार्य या किसी सार्वजनिक कार्य को सील करना।

धारा 5 सी के तहत परिसर, या

(घ) की उप-धारा (1) के तहत देय किराए का बकाया

धारा 7 या उप-धारा (2) के तहत देय नुकसान,

या उस की उप-धारा (2 ए) के तहत देय ब्याज

(ई) की वसूली -

(i) धारा 5 ए के तहत किसी भी भवन, संरचना या स्थिरता या सामान, मवेशियों या अन्य जानवरों को हटाने की लागत, या
((ख) धारा 5 ख के अधीन विध्वंस का व्यय, या

((ग) धारा 9 की उप-धारा (5) के तहत केंद्र सरकार या सांविधिक प्राधिकारी को दी गई लागत, या

((iv) केंद्र को दिए गए किराए, नुकसान, हटाने की लागत, विध्वंस के खर्च या लागत का कोई भी हिस्सा।

सरकार या वैधानिक प्राधिकरण।

अब हम सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) नियम, 1971 के प्रावधानों का विज्ञापन कर सकते हैं।

" 9. अपीलों में प्रक्रिया। - (1) एक अपील जिसके तहत वरीयता दी जाती है

अधिनियम की धारा 9 लिखित रूप में होगी।

संक्षिप्त रूप से अपील किए गए आदेश पर आपत्ति के आधार खिलाफ, और इस तरह के आदेश की एक प्रति के साथ किया जाएगा।

(2) अपील की प्राप्ति पर और संपदा अधिकारी के समक्ष कार्यवाही के रिकॉर्ड को बुलाने और उस पर विचार करने के बाद, अपीलीय अधिकारी अपील की सुनवाई के लिए एक समय और स्थान निर्धारित करेगा और उसे नोटिस देगा।

उस संपदा अधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है

अपीलार्थी और विभाग प्रमुख को वरीयता दी जाती है

या परिसर के प्रशासनिक नियंत्रण में प्राधिकरण।

वे अनधिकृत व्यवसाय में थे। उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अधिनियम की धारा 3 के तहत एक संपदा अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसे दिया गया है। कारण दर्शाने का नोटिस जारी करने और सार्वजनिक परिसरों के संबंध में बकाया किराये और नुकसान की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करने की शक्तियां। धारा 8 संपदा अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दीवानी अदालत में निहित समान शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देती है।

1908. हमें इस सवाल पर विचार करने के लिए नहीं कहा जाता है कि क्या संपदा अधिकारी, उस में निवेशित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अदालत के रूप में कार्य करता है या उसके पास अदालत के जाल हैं।

एकमात्र प्रश्न जिसका हमने उत्तर देने का प्रयास किया है, वह यह है कि क्या अधिनियम की धारा 9 में निर्दिष्ट अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति, जिसके समक्ष अपील की जाएगी, व्यक्ति पदनाम की क्षमता में है या अदालत के रूप में है।

एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

30. इस मुद्दे का जवाब देने के लिए धारा 9 की उप-धारा (1) मुख्य प्रावधान है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह अभिनिर्धारित करता है कि एक अपील

पदनाम। इसे बनाए रखने के लिए कुछ और चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अपीलीय अधिकारी के रूप में नामित करने का मामला होता, तो सहवर्ती यह पूरी तरह से अलग होगा। तथापि, जब अपीलीय अधिकारी या तो जिले का जिला न्यायाधीश होता है या उस जिले का कोई अन्य न्यायिक अधिकारी होता है, जिसके पास आवश्यक योग्यता होती है, जिसे जिला न्यायाधीश द्वारा नामित किया जा सकता है, तो जिला न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश में अपीलीय प्राधिकरण की शक्ति के ऐसे निवेश का प्रश्न किसी भी मानकों द्वारा या उस मामले के लिए व्यक्ति पदनाम का रंग प्राप्त नहीं करेगा। सबसे पहले, धारा 9 के संदर्भ में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति राज्य की एक न्यायिक शक्ति है जो -

राज्य की कार्यकारी शक्ति से काफी अलग। दूसरा, जिला न्यायाधीश या नामित न्यायिक अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में न्यायिक अधिकार का प्रयोग करता है। तीसरा, जैसा कि अधिनियम भविष्यवाणी करता है कि अपीलीय अधिकारी को जिला न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी होना है, यह राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने वाले पहले से मौजूद प्राधिकरण के तथ्य का संकेत है। चौथा, जिला न्यायाधीश महाराष्ट्र सिविल न्यायालय अधिनियम, 1869 की धारा 5 का हिस्सा है, जो संबंधित जिले में एक से अधिक न्यायाधीशों वाले जिला न्यायालय की अध्यक्षता करता है। जिला न्यायालय 1869 अधिनियम की धारा 7 और 8 के आधार पर मूल और अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करता है और उस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार सी. पी. सी. के अर्थ में जिले में मूल नागरिक अधिकारिता का प्रमुख न्यायालय है। 1869 के अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सभी फरमानों और आदेशों के खिलाफ अपील का न्यायालय है, जिसमें से किसी भी कानून के तहत अपील की जाती है। उस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, जिला न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी भी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, किसी भी मूल मुकदमे और सिविल प्रकृति की कार्यवाही, विशेष अधिनियमों और विविध अनुप्रयोगों के तहत आवेदन या संदर्भों को संदर्भित कर सकता है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के पास ऐसे मुकदमों की सुनवाई करने और ऐसे आवेदनों या संदर्भों का निपटान करने का अधिकार क्षेत्र है।

8] 2 एस. सी. आर. की धारा 17

उस अधिनियम में यह परिकल्पना की गई है कि एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को उन अपीलों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा जो जिला न्यायाधीश द्वारा उसे भेजी जा सकती हैं। उस अधिनियम की धारा 19, जिला न्यायाधीश की शक्तियों के साथ अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों पर शक्ति निवेश करने का एक प्रावधान है। जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के पदानुक्रम को 1869 के अधिनियम से निकाला जा सकता है। इसी तर्ज पर धारा 3 के तहत बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट का गठन किया गया है। बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट एक्ट, 1948, ग्रेटर बॉम्बे के भीतर उत्पन्न होने वाले सभी मुकदमों और सिविल प्रकृति की अन्य कार्यवाहियों को प्राप्त करने, प्रयास करने और निपटाने की अधिकारिता के साथ, एक मुकदमे या कार्यवाही को छोड़कर जो हैं

उसमें निर्दिष्ट उच्च न्यायालय द्वारा और छोटे कारणों से संज्ञेय

अदालत। इस अधिनियम की धारा 7 में परिकल्पना की गई है कि जब नगर सिविल न्यायालय में एक से अधिक न्यायाधीश होते हैं, तो प्रत्येक न्यायाधीश उक्त अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा न्यायालय को प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। धारा 7 के खंड (बी) में कहा गया है कि राज्य सरकार न्यायाधीशों में से किसी एक को प्रधान न्यायाधीश और किसी भी दो अन्य न्यायाधीशों को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकती है। प्रधान न्यायाधीश को ऐसी व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है जो वह न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों के बीच न्यायालय के कार्य के वितरण के लिए उचित समझे। दूसरे शब्दों में, जिला

न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हैं और एक प्राधिकरण है जिसका अपना उच्च और निम्न न्यायालयों का पदानुक्रम है,

प्रक्रिया की विधि जिसके अनुसार वह न्यायिक तरीके से कार्य करते हुए अपनी प्रकृति और क्षेत्राधिकार के आधार पर अपने समक्ष आने वाले मामलों का निपटारा करेगी। जिला न्यायाधीश या सिटी सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी होते हैं और उनका विवरण न्यायालय के नामकरण से प्राप्त होता है। भले ही नगर सिविल न्यायालय का जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो सकता है या स्थानांतरित हो सकता है, उसका उत्तराधिकारी 1971 के अधिनियम की धारा 9 के तहत कार्यवाही का धागा उस स्तर से उठा सकता है जहां उसे उसके पूर्ववर्ती ने छोड़ा था और वह एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य कर सकता है। सिटी सिविल कोर्ट के जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश और इन न्यायालयों के अन्य न्यायिक अधिकारी

आवश्यक योग्यता रखने वाले एक वर्ग का गठन करते हैं और नहीं हो सकते हैं

व्यक्तित्व नामित के रूप में माना जाता है। अतः अपीलीय अधिकारी, न्यायालय के रूप में कार्य करना होता है और 1971 अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में उसका निर्णय अंतिम होता है। अपीलीय अधिकारी के समक्ष धारा 9 के तहत अपील प्रदान करने के पीछे विधायी इरादा संबंधित जिला न्यायालय का जिला न्यायाधीश होना जिसमें सार्वजनिक परिसर स्थित हैं या

उस जिले में आवश्यक योग्यता रखने वाले ऐसे अन्य न्यायिक अधिकारी एल. आई. सी. ऑफ इंडिया v.

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उस प्रयोजन के लिए जिला न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाना, इस तथ्य का संकेत है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति व्यक्ति पदनाम के रूप में उसकी क्षमता में नहीं है, बल्कि पूर्व के न्यायिक अधिकारी के रूप में है। विद्यमान न्यायालय। 1971 के अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उपरोक्त विश्लेषण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

31. वास्तव में, धारा 9 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "अपीलीय अधिकारी" है न कि "अपीलीय प्राधिकरण" जैसा कि धारा 6 सी में उपयोग किया गया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, ठाकुर दास (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया। हालाँकि, इससे न तो कोई फर्क पड़ेगा और न ही जिला न्यायाधीश या नामित न्यायिक अधिकारी की स्थिति को कम किया जाएगा ताकि उनकी नियुक्ति को व्यक्ति के रूप में माना जा सके। पदनाम। धारा 9 (1) का जोर जिला न्यायाधीश के समक्ष संपदा अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील के उपचार का प्रावधान करना है, जो निर्विवाद रूप से जिले के भीतर पहले से मौजूद प्राधिकरण और न्यायपालिका का प्रमुख है, जो शक्ति सहित राज्य की न्यायिक शक्तियों का निर्वहन करता है।

अपील दायर करने में देरी को माफ करना और अपील के लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत देना। यद्यपि एक अपीलीय अधिकारी के रूप में वर्णित है, जिला न्यायाधीश, धारा 9 के तहत एक अपील पर निर्णय लेने के लिए, दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और उससे अपेक्षा की जाती है। 32. नुस्ली नेविल वाडिया (उपरोक्त) के मामले में खंड पीठ को अनिवार्य रूप से उसके समक्ष उठाए गए विवाद का जवाब देने के लिए बुलाया गया था।

कि, बॉम्बे अपीलीय पक्ष नियम, 1960 के अध्याय XVII नियम 18 पर विचार करते हुए, नियम 18 के संदर्भ में याचिका की सुनवाई उस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा या डिवीजन बेंच द्वारा की जानी चाहिए और क्या डिवीजन बेंच के पास 1971 के अधिनियम से उत्पन्न कार्यवाही में सिटी सिविल कोर्ट/जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई और फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए खंड पीठ द्वारा किया गया विश्लेषण उक्त याचिका के संदर्भ में था। वास्तव में, खंड पीठ ने इस पहलू पर भी ध्यान दिया कि क्या प्रधान न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट एक अदालत या व्यक्ति पदनाम के रूप में कार्य कर रहा था। इसने केवल एन. पी. बेरी (उपरोक्त) और श्री महेश एन. कोठारी और अन्य बनाम के मामले में निर्णयों का पालन किया। भारतीय जीवन बीमा निगम और 2005 की एक अन्य रिट याचिका No.6846 में, 05.10.2006 पर निर्णय लिया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधायिका ने जिला न्यायाधीश या सिटी सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को अपीलों की सुनवाई करने की शक्ति प्रदान नहीं की है, लेकिन प्राधिकरण को एक अपीलीय अधिकारी के रूप में नामित करने के लिए चुना है, यह स्पष्ट करते हुए कि शक्ति व्यक्ति पदनाम के रूप में उनकी क्षमता में प्रदान की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डिवीजन बेंच ने गंगाधर बापुराव गद्रे बनाम हुबली नगर पालिका 3 8 में बॉम्बे जिला नगर पालिका अधिनियम की धारा 22 से संबंधित निर्णयों को भी स्वीकार किया है; शोलापुर नगर पालिका बनाम तुलजाराम कृष्णसा चव्हाण "बॉम्बे सिटी नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित; केशव रामचंद्र (सुप्रा), बॉम्बे नगर पालिका अधिनियम और जगमोहन सूरजमल मारवाड़ी (सुप्रा) के प्रावधानों की धारा 15 से संबंधित, और यह अभिनिर्धारित किया कि जिला न्यायाधीश एक व्यक्ति नामित के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। 33. इसलिए हम नुस्ली नेविल वाडिया के मामले (उपरोक्त) में दिए गए निर्णयों का अध्ययन करेंगे। इनसे पहले कि हम उनकी जाँच करें

निर्णयों में, प्रकाश सिक्योरिटीज प्राइवेट के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर ध्यान देना उचित है। लिमिटेड (ऊपर)। पूर्ण पीठ को संदर्भित प्रश्न इस प्रकार हैः

" क्या सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत पारित आदेश से उत्पन्न रिट याचिका को बॉम्बे उच्च न्यायालय अपीलीय पक्ष नियम, 1960 के अध्याय XVII के नियम 18 (3) के अनुसार इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए।

या डिवीजन बेंच के सामने रखा जाना चाहिए?

पूर्ण पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय अपीलीय पक्ष नियम, 1960 की योजना का विश्लेषण किया और राय दी कि 1971 के अधिनियम के तहत अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश भी नियम 18 (3) के अंतर्गत आता है और इस तरह के निर्णय के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत रिट याचिका की सुनवाई और निर्णय उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए। परिच्छेद 8 में, अंत में, पूर्ण पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

एल. चंद्र कुमार मामले में उच्चतम न्यायालय का गठन नहीं हो सकता है। इसलिए हम नुस्ली नेविल वाडिया मामले (उपरोक्त) में खंड पीठ द्वारा लिए गए विचार से सहमत होने में असमर्थ हैं। यह स्पष्ट है कि बंबई उच्च न्यायालय के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत न्यायालय अपीलीय पक्ष नियम, 1960, लोक परिसर अधिनियम, 1971 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली संविधान के अनुच्छेद 226 और/या 227 के तहत एक याचिका।

38 1925 बी. एल. आर. 519 39 ए. आई. आर. 1931 बॉम्बे 582 एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सुनवाई और निर्णय की आवश्यकता होगी। इसलिए, जहां तक नुस्ली नेविल वाडिया मामले में खंड पीठ ने यह विचार रखा है कि जब संविधान के अनुच्छेद 323-बी (2) से संबंधित किसी विषय से संबंधित कानून के तहत न्यायाधिकरण द्वारा आदेश पारित किया जाता है, तब तक नुस्ली नेविल वाडिया मामले में निर्णय को खारिज कर दिया जाता है।

ऐसे आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को होना होगा

अनिवार्य रूप से डिवीजन बेंच द्वारा सुना गया। यह स्पष्ट किया जाता है कि एल. चंद्र कुमार मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश केवल तभी लागू होंगे जब न्यायाधिकरण एक कानून के तहत स्थापित किया जाता है जो विशेष रूप से उपयुक्त द्वारा बनाया जाता है।

अनुच्छेद 323 ए या 323-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधायिका। केवल इसलिए कि भविष्य में विद्यमान कोई विधान, संविधान के अनुच्छेद 323-बी के खंड (2) में किसी उपखंड के लिए संदर्भित विषय से संबंधित है, ऐसा विधान अपने आप में संविधान के अनुच्छेद 323-बी के तहत एक विधान नहीं बन जाता है।

34. निर्विवाद रूप से, पूर्ण पीठ को इस मुद्दे की जांच करने के लिए "नहीं" कहा गया था कि क्या धारा 9 के तहत अपील का उपाय

अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिनियम, 1971, एक व्यक्ति पदनाम या दीवानी न्यायालय के रूप में अपनी क्षमता में शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकरण के समक्ष है।

35. अब हम एन. पी. बेरी (ऊपर) में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय की ओर रुख कर सकते हैं, जिस पर बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा नुस्ली नेविल वाडिया के मामले (ऊपर) में भरोसा किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया मुख्य बिंदु एक व्यक्ति पदनाम के रूप में कार्य करने वाले "न्यायाधीश" और एक "न्यायालय" के बीच अंतर के बारे में था।

1971 के अधिनियम की धारा 9 के तहत अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले दिल्ली के एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का संदर्भ।

36. हम दोहरा सकते हैं कि, वर्तमान मामले में, हम इस सवाल से चिंतित नहीं हैं कि क्या संपदा अधिकारी 1971 के अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है, एक ऐसा मुद्दा जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया था। इसने इस सवाल पर भी विचार किया कि क्या 1971 के अधिनियम की धारा 9 में परिभाषित अपीलीय अधिकारी एक व्यक्ति पदनाम के रूप में कार्य करता है न कि एक न्यायालय के रूप में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राय दी कि केवल यह तथ्य कि अपीलीय अधिकारी एक जिला न्यायाधीश है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए निर्णायक नहीं है कि उसे एक न्यायालय के रूप में कार्य करना है। इसने कहा कि यदि विधायिका का इरादा यही होता, तो धारा 9 या तो जिला न्यायाधीश के न्यायालय या [2018] 2 एस. सी. आर. को अधिकार देती।

कम से कम जिला न्यायाधीश अपीलों की सुनवाई करेगा। यह दृश्य दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया, हमारी राय में, विशेष रूप से ठाकुर दास (उपरोक्त) और मुकरी गोपालन (उपर्युक्त) के मामले में स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए असमर्थनीय है।

37. वास्तव में, दिल्ली उच्च न्यायालय इस न्यायालय के उपरोक्त फैसलों पर ध्यान नहीं दे सकता था, जिसमें यह देखा गया है कि एक व्यक्ति पदनाम एक ऐसा व्यक्ति है जिसे इंगित या वर्णित किया गया है

किसी वर्ग के सदस्य के रूप में या किसी विशेष चरित्र को भरने वाले व्यक्ति के विपरीत कोई व्यक्ति। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि

प्राधिकरण। हालाँकि, इन उद्धरणों में अंतर्निहित सिद्धांत 1971 के अधिनियम में निर्धारित व्यवस्था के लिए सभी चार पर लागू होगा। क्योंकि, यह भविष्यवाणी करता है कि अपीलीय अधिकारी जिले का जिला न्यायाधीश होगा जो परिसर स्थित हैं या जिला न्यायाधीश द्वारा नामित ऐसा अन्य न्यायिक अधिकारी।

38. नुस्ली नेविल वाडिया के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने काफी हद तक एन. पी. बेरी के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

हम ठाकुर दास (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय की गई उस उक्ति से बंधे हैं जिसमें यह कहा गया है कि "प्राधिकरण" को अर्हता प्रदान करने वाली "न्यायिक" अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि

अकेले प्राधिकरण को हस्तक्षेप करने और उन अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त किया जा सकता है जिन पर राज्य की न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई थीं। न्यायिक प्राधिकरण के संदर्भ में, यह इस तथ्य का संकेत है कि अपीलीय प्राधिकरण एक ऐसा पूर्व-विद्यमान प्राधिकरण होना चाहिए जो राज्य की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा था और यदि व्यक्ति पदनाम के रूप में किसी प्राधिकरण का गठन किया जाना था, तो विशिष्ट विशेषण "न्यायिक" द्वारा "प्राधिकरण" शब्द को अर्हता प्राप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं था। व्याख्या का जोर यह है कि "न्यायिक प्राधिकरण" जो राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने वाला एक पूर्व-विद्यमान प्राधिकरण है, व्यक्ति पदनाम के वितरण से अलग होने के विधायी इरादे का एक मजबूत संकेत है जब किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में इंगित या वर्णित किया जाता है, जबकि एल. आई. सी. ऑफ इंडिया v के रूप में निर्धारित व्यक्ति के विपरीत।

नंदीनी जे. शाह एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

किसी वर्ग का सदस्य, या किसी विशेष चरित्र को भरने के रूप में। मुकरी गोपालन (ऊपर) में भी इस विचार को दोहराया गया है। 39. विशेष रूप से, 1971 के अधिनियम में "संपत्ति अधिकारी" की परिभाषा के विपरीत "अपीलीय अधिकारी" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

उस अधिनियम की धारा 2 (1) (बी)। अपीलीय अधिकारी को एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है, जैसा कि 1971 के अधिनियम की धारा 2 (1) (एफ. ए.) में शब्दकोश खंड में परिभाषित किया गया है। ठाकुर दास (ऊपर) के मामले में, पैराग्राफ में

9 , उच्च न्यायालयों की राय के विभाजन का विश्लेषण करते समय, यह देखा गया है कि "न्यायिक प्राधिकरण" शब्द अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को समझेगा या सत्र न्यायाधीश अपने समक्ष लंबित ऐसी अपील को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को स्थानांतरित कर सकता है जो इस तथ्य का एक संकेत था कि वह एक व्यक्ति नामित नहीं था। यहां तक कि 1971 के अधिनियम की धारा 9 के तहत अपील के संबंध में, सिटी सिविल कोर्ट या जिला न्यायाधीश का प्रधान न्यायाधीश स्वयं अपील की सुनवाई करने या अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को नामित करने के लिए सक्षम है, जिसके पास आवश्यक अधिकार हैं। योग्यता. सिटी सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 7 और महाराष्ट्र सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 3,5 और 7 का विज्ञापन करना उपयोगी होगा। जिला न्यायपालिका का गठन करने वाले अधिनियमों के प्रावधानों के साथ पठित धारा 9 में यह निहित है कि जिला न्यायपालिका का प्रमुख जिला न्यायाधीश या सिटी सिविल कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश होता है और 1971 के अधिनियम की धारा 9 जिला न्यायाधीश या सिटी सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश में निवेश प्राधिकरण द्वारा, ऐसी अपीलों की सुनवाई के लिए आवश्यक योग्यता रखने वाले अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को नामित करने के लिए स्पष्ट करती है। यह एक व्यक्ति पदनाम के रूप में एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से एक स्पष्ट विचलन है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या न्यायिक

इसलिए, आवश्यक योग्यता रखने वाला अधिकारी हीन नहीं है। 1971 के अधिनियम की धारा 9 के अर्थ के भीतर अपीलीय अधिकारी। हमारी राय में, 1971 के अधिनियम की धारा 9 में इस विधायी इरादे को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त संकेत हैं कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील का उपाय नामित व्यक्ति के समक्ष नहीं है, बल्कि संबंधित जिले में एक पूर्व-विद्यमान न्यायिक प्राधिकरण है।

40. दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस प्रश्न पर विचार किया कि

चाहे अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति न्यायालय की उसकी क्षमता में हो या अन्यथा। मुल्ला की सिविल प्रक्रिया संहिता, 13 वें संस्करण खंड I, पृष्ठ 500 पर भरोसा करते हुए, यह देखा गया है कि जहां विशेष अधिकारिता देने वाले अधिनियम में इस्तेमाल किया गया शब्द "न्यायालय" नहीं बल्कि "न्यायाधीश" है, वहां पूरे अधिनियम को यह पता लगाने के लिए देखा जाना चाहिए कि क्या मामले का फैसला उनके द्वारा न्यायालय के रूप में किया जाना है या उनकी व्यक्तिगत क्षमता में।

इसने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई प्राधिकरण नहीं है कि जब "न्यायालय" शब्द का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है, तो किसी क़ानून के तहत काम करने वाले जिला न्यायाधीश या अधीनस्थ न्यायाधीश को अदालत माना जाता है, भले ही क़ानून स्वयं यह दर्शाता हो कि उसे एक अपीलीय अधिकारी के रूप में या अदालत के अलावा किसी अन्य पद के साथ काम करना है, और आगे जब सी. पी. सी.

न्यायाधीश द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया के रूप में लागू नहीं किया गया है और जब कोई संकेत नहीं है कि न्यायाधीश को न्यायालय के रूप में कार्य करना है। इसने तब कहा कि न्यायालय या तो सी. पी. सी. या पंजाब न्यायालय अधिनियम के तहत एक क़ानून का निर्माण है। अंतिम विश्लेषण में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलीय अधिकारी को न्यायालय के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए, उसे एक व्यक्ति नामित के रूप में माना जाना चाहिए।

41. तथ्य यह है कि 1971 के अधिनियम में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली या पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, इसलिए इसका पालन नहीं होगा कि जिला न्यायाधीश या नामित न्यायिक जो अधिकारी धारा 9 के तहत अपीलों की सुनवाई करता है, वह ऐसा न्यायालय के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्ति पदनाम के रूप में करता है। जिन कारणों से हम पहले ही संकेत कर चुके हैं

यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष धारा 9 के तहत अपील का उपाय एक व्यक्ति पदनाम के रूप में नहीं है, बल्कि एक पूर्व-विद्यमान न्यायिक प्राधिकरण के लिए है। उस मामले में, अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया 1971 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रावधानों द्वारा शासित होगी और जिसमें वह अधिनियम भी शामिल होगा जिसके तहत न्यायिक प्राधिकरण बनाया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र सिविल कोर्ट।

अधिनियम और नगर सिविल न्यायालय अधिनियम। [महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम (उपर्युक्त) के पैरा 26 को देखें, जिसे इस निर्णय के पूर्व भाग में पैरा 26 में पुनः प्रस्तुत किया गया है। ऐसा पूर्व-विद्यमान न्यायिक प्राधिकरण, निहितार्थ से, उक्त अधिनियमों में अंतर्निहित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

और अवसर प्रदान करने में निष्पक्षता के सिद्धांत का भी पालन करें। तब से

जिस इमारत पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एक अपीलीय अधिकारी व्यक्ति पदनाम है और न्यायालय नहीं है, उसे कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, नुस्ली नेविल वाडिया के मामले (ऊपर) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और प्रकाश सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड भी। लिमिटेड (ऊपर), उसी तर्क के लिए उस हद तक क्षेत्र को नहीं पकड़ सकता है।

42. मैसूर राज्य बनाम पी. शंकरनारायण राव (ऊपर) के मामले में एक और निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। विद्वान। कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने विचाराधीन प्रश्न की जांच की कि क्या जिला न्यायाधीश जो कर्नाटक सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत एक अपीलीय अधिकारी के रूप में गठित किया गया है, एक न्यायालय के रूप में या भारत के एल. आई. सी. के रूप में कार्य करता है।

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

व्यक्ति पदनाम? विरिंदर कुमार सत्यवादी बनाम पंजाब राज्य के मामले में निर्णय का उल्लेख किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि एक अदालत को अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण से जो अलग करता है, वह यह है कि उस पर न्यायिक तरीके से विवादों का फैसला करने और एक निश्चित निर्णय में पक्षों के अधिकारों की घोषणा करने का कर्तव्य है। न्यायिक तरीके से निर्णय लेने में यह शामिल है कि पक्षकार अपने दावे के समर्थन में सुनवाई के अधिकार के मामले के रूप में और इसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के हकदार हैं। इसके अलावा यह आयात भी करता है।

प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने और कानून के अनुसार मामले का निर्णय करने के लिए प्राधिकरण की ओर से एक दायित्व। न्यायालय और अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण के बीच अंतर का निर्णय अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए और यदि इसके पास सभी अधिकार हैं

न्यायालय की विशेषताएँ। कर्नाटक अधिनियम की धारा 10 का उल्लेख करते हुए, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी सार्वजनिक परिसर के संबंध में किए गए सक्षम अधिकारी के प्रत्येक आदेश से अपील एक अपीलीय अधिकारी को की जाएगी, जो उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले "केवल" जिला न्यायाधीश होंगे, न्यायालय ने अंततः निष्कर्ष निकाला कि धारा 10 में "अपीलीय अधिकारी" शब्द को लागू करने का इरादा इस तथ्य का संकेत है कि जिला न्यायाधीश को धारा 10 के प्रावधानों द्वारा निर्धारित तरीके से अपील का निपटान करने के लिए सीमित अधिकार क्षेत्र वाले अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वह जिला न्यायालय की सामान्य शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसने कहा कि कर्नाटक अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में जिला न्यायाधीश के आदेश के साथ एक अंतिमता जुड़ी हुई है जो एक और संकेत है कि एक न्यायाधीश को केवल एक व्यक्ति पदनाम के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि

एक अदालत। हालाँकि, 1971 के अधिनियम में, धारा 9 के तहत अपील की सुनवाई और निर्णय न केवल स्वयं जिला न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है, बल्कि जिला न्यायालय के किसी भी अन्य न्यायिक अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, जिसके पास आवश्यक अधिकार हों। उस उद्देश्य के लिए निर्धारित योग्यताएँ।

43. सिजेराली मोहम्मदीली लोधिया (ऊपर) के मामले में, गुजरात सार्वजनिक परिसर की धारा 9 के प्रावधान (के निष्कासन)

अनाधिकृत अधिभोग) अधिनियम, 1972 जांच के लिए आया। गुजरात उच्च न्यायालय अनिवार्य रूप से इस सवाल से चिंतित था कि क्या गुजरात सार्वजनिक परिसर की धारा 9 के तहत पसंद की गई अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ संशोधन का उपाय है। अधिनियम (जो 1971 के अधिनियम की धारा 9 के अनुरूप है), उच्च न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य था। गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क

यह था कि भले ही यह लिया जाए कि अपीलीय अधिकारी व्यक्ति नहीं है नामित लेकिन एक न्यायालय, सवाल यह उठता है कि क्या गुजरात सार्वजनिक परिसर की धारा 9 के तहत अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश

अधिनियम ऐसा है जिसके खिलाफ सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत उपाय निहित है। ठाकुर दास और मुकरी गोपालन (उपरोक्त) के मामलों सहित फैसले के पैराग्राफ 11 में उल्लिखित निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद, अदालत ने कहा कि चूंकि अपीलीय अधिकारी के आदेश को राज्य अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में अंतिम बना दिया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत उस पर हमला नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता। इसने अंत में पैराग्राफ 15 में निष्कर्ष निकाला कि यह मानते हुए कि संशोधन का उपाय निहित है, यह एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय नहीं होगा ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और/या अनुच्छेद 227 के तहत याचिका को खारिज कर दिया जा सके। इसलिए उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर इस मुद्दे की जांच की।

44. हमारा अगला मामला मैसर्स में पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय है। पिटमैन की शॉर्टहैंड अकादमी

(ऊपर), पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1947 से उत्पन्न किराया कार्यवाही में अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के खिलाफ सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत दायर नागरिक संशोधन आवेदन में प्रस्तुत किया गया है। अदालत ने

राज्य किराया अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण किया और राय दी कि अधिनियम के तहत नियंत्रकों और अपीलीय प्राधिकरणों के कार्यों से न्यायालय के किसी भी लक्षण का संकेत नहीं मिलता है। दूसरे शब्दों में, नियंत्रकों और अपीलीय प्राधिकरणों की नियुक्ति के पीछे विधायी इरादा उन्हें व्यक्ति पदनाम के रूप में नियुक्त करना था न कि न्यायालय के रूप में। इस फैसले की जरूरत नहीं है।

विशेष रूप से ठाकुर दास और मुकरी गोपालन में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण के अंतर्निहित सिद्धांतों पर आधारित निर्णय के पहले भाग में पहले से ही इंगित कारणों के लिए हमें हिरासत में लें।

45. गंगा राम दोहरे (ऊपर) के मामले में, विचार किया गया प्रश्न यह था कि क्या अपील को स्थानांतरित करने के लिए यू. पी. सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में कोई विशिष्ट प्रावधान दिया गया है और चूंकि अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा सी. पी. सी. की धारा 24 लागू की गई है, क्या मामले के हस्तांतरण के लिए सी. पी. सी. की धारा 24 के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य था? आबिद अली बनाम के मामले में निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायालय। जिला न्यायाधीश, बहराइच, 4 1 ने निष्कर्ष निकाला कि सी. पी. सी. की धारा 24 के तहत आवेदन विचारणीय नहीं था, क्योंकि यू. पी. सार्वजनिक परिसर अधिनियम की धारा 9 के तहत जिला न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही अन्य कार्यवाही नहीं थी।

सी. पी. सी. की धारा 24 द्वारा परिकल्पित सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत। 46. जिंदाराम (ऊपर) के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ को इस पर विचार करने के लिए कहा गया था

एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जिला न्यायाधीश द्वारा अपीलीय के रूप में पारित आदेश के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण आवेदन की अक्षमता 1971 अधिनियम की धारा 9 के तहत अधिकारी। परस्पर विरोधी बातों पर विचार करने के बाद

इस मुद्दे पर उसी उच्च न्यायालय के निर्णयों पर, खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 9 के तहत अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। न्यायालय ने मुकरी गोपालन (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण पर भरोसा किया जिसमें यह देखा गया है कि अधिनियम के तहत गठित अपीलीय प्राधिकरण एक वर्ग का गठन करते हैं और उन्हें एक व्यक्ति नामित के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, अपीलीय प्राधिकरण एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है। न्यायालय ने श्याम सुंदर अग्रवाल एंड कंपनी मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय का भी उल्लेख किया। बनाम भारत संघ 1 2 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एक विशेष क़ानून के तहत गठित एक सिविल न्यायालय द्वारा अपीलीय आदेश पारित किया गया है, हालांकि अधिनियम के तहत अंतिम बनाया गया है, यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है। न्यायालय ने इस निष्कर्ष को पुष्ट करने के लिए इस न्यायालय के अन्य निर्णयों पर भरोसा किया कि सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत संशोधन का उपाय सी. पी. सी. द्वारा पारित आदेश के खिलाफ उपलब्ध था।

अधिनियम की धारा 9 के तहत एक अपील पर जिला न्यायाधीश। चाहे जो भी हो, हम निश्चित हैं कि अपीलीय अधिकारी के निर्णय के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उपचार का लाभ उठाया जाता है।

47. एम. पापा नाइक (उपरोक्त) के मामले में अदालत को कर्नाटक पब्लिक की धारा 9 के उद्देश्य की जांच करने के लिए कहा गया था।

परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1974। यहां तक कि इस मामले में भी सवाल यह था कि क्या राज्य अधिनियम की धारा 10 के तहत की गई अपील पर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण या रिट याचिका का कोई उपाय होगा। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि

राज्य अधिनियम की धारा 9 के तहत एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं रह जाता है और उसके द्वारा पारित कोई भी आदेश धारा 115 सी. पी. सी. के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। इस निष्कर्ष के समर्थन में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सेंट्रल टॉकीज लिमिटेड (उपरोक्त) और पार्थसारधी नायडू बनाम कोटेश्वर के मामले में स्पष्टीकरण पर भरोसा किया।

48. भले ही उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के अन्य निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जो

42 (1996) 2 एससीसी 132

43 आई. एल. आर. (1924) 47 मैड 369 [2018] 2 एस. सी. आर.

अन्य विधानों के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए, उन निर्णयों पर विस्तार करना अनावश्यक है क्योंकि हम ठाकुर दास (उपरोक्त), एज़न्यू ड्रम्स प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों के अंतर्निहित सिद्धांतों को लागू करने का इरादा रखते हैं। लिमिटेड (ऊपर), महाराष्ट्र राज्य वित्तीय

निगम (ऊपर), राम चंदर अग्रवाल (ऊपर) और मुकरी गोपालन (ऊपर), विशेष रूप से, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि 1971 के अधिनियम की धारा 9 में निर्दिष्ट अपीलीय अधिकारी एक व्यक्ति नामित नहीं है, लेकिन सिविल न्यायालय के रूप में कार्य करता है।

49. दूसरे शब्दों में, अपीलीय अधिकारी 1971 के अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, व्यक्ति पदनाम के रूप में कार्य नहीं करता है। लेकिन जिले में एक पूर्व मौजूदा न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी क्षमता में (एक जिला न्यायाधीश या आवश्यक योग्यता रखने वाले न्यायिक अधिकारी होने के नाते)

जिला न्यायाधीश द्वारा नामित)। जिला न्यायपालिका का हिस्सा होने के नाते, न्यायाधीश एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है और उसके द्वारा पारित आदेश अधीनस्थ न्यायालय का एक आदेश होगा जिसके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उपाय किया जाएगा।

इस तरह के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए चित्रित मामलों पर भारत के संविधान का लाभ उठाया जा सकता है।

50. वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, प्रतिवादियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका के उपचार का सहारा लिया था। हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि जिला न्यायाधीश (इस मामले में, न्यायाधीश, बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट, मुंबई) द्वारा एक अपीलीय अधिकारी के रूप में पारित आदेश अधीनस्थ न्यायालय का एक आदेश है, इसके लिए चुनौती आमतौर पर केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत आगे बढ़नी चाहिए, न कि अनुच्छेद 226 के तहत। इसके अलावा, बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 14.08.2012 के निर्णय की बारीकी से जांच करने पर हमें यह विचार लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की वास्तविक प्रकृति और सार भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग करना था; और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया था। वास्तव में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर निष्पक्ष रूप से ध्यान देते हुए निर्णय की शुरुआत की है कि प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत थी

भारत से। हालाँकि, राम किशन फौजी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यह निर्धारित करने में कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश अनुच्छेद 226 या 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, महत्वपूर्ण कारक एक पक्ष द्वारा लागू अधिकार क्षेत्र की प्रकृति और पारित आदेश की वास्तविक प्रकृति और चरित्र और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देश हैं। एल. आई. सी. ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 40 में v.

नंदीनी जे. शाह एंड ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय को स्वीकार करते हुए कहा कि

XXX क्या सीखा एकल

" 40. XXX

XXX

न्यायाधीश ने अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है या

अनुच्छेद 227 या दोनों के तहत, विभिन्न पर निर्भर करेगा

पहलू। विद्वान एकल द्वारा आदेश पारित किए जा सकते हैं

न्यायाधीश जिसे दोनों के तहत एक आदेश के रूप में माना जा सकता है

एक मिश्रित तरीके से लेख, क्योंकि वे सह-अस्तित्व में हो सकते हैं, मेल खाते हैं और आत्मसात करें। यह दोहराया गया कि यह निर्भर करेगा

क्रम की प्रकृति, समोच्च और चरित्र और यह होगा लेटर पेटेंट की सुनवाई करने वाली डिवीजन बेंच का दायित्व

यह समझने और यह तय करने के लिए अपील करें कि क्या आदेश दिया गया है

अधिकारिता के प्रयोग में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित

संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 या दोनों के तहत। द.

दो-न्यायाधीश पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि खंड पीठ ने

यह भी जांच करने की आवश्यकता होगी कि क्या तथ्य मामला याचिका में किए गए दावों को उचित ठहराता है

अनुच्छेदों और राहत दोनों के तहत अधिकार क्षेत्र

उस नींव को। आवश्यक के संबंध में वर्णन

पक्षकार वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं है, उक्त पहलू

विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है।

पैराग्राफ 41 और 42 में, जो इस मुद्दे का जवाब देने के लिए उपयोगी हो सकता है, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 41. हमने इन निर्णयों का उल्लेख केवल उजागर करने के लिए किया है।

कि यह संदेह की किसी भी छाया से परे है कि नागरिक का क्रम

संविधान और इस तरह की चुनौती से, कोई अंतर-न्यायालय अपील नहीं झूठ बोलेंगे और अन्य मामलों में, यह दूसरे पर निर्भर करेगा

कारक जो उसमें गिने गए हैं।

42. इस स्तर पर, इसे बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है

निष्कर्ष जो उपरोक्त से अनुमानित हैं

घोषणाएँ। वे इस प्रकार हैं:

42.1 एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी।

उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ को यदि इसकी अनुमति है

42.2 पत्रों द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति सक्षम व्यक्ति द्वारा पेटेंट को समाप्त या कम किया जा सकता है।

उचित विधान लाकर विधायिका।

42.3 एक रिट याचिका जो एक दीवानी अदालत के आदेश को लागू करती है

उच्च न्यायालय को सभी परिस्थितियों में समझना होगा,

संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक चुनौती होना और

उक्त अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारण और,

इसलिए, कोई अंतर-न्यायालय अपील स्वीकार्य नहीं है। 42.4 अंतर-न्यायालय अपील की वैधता इस पर निर्भर करेगी कि

न्यायपीठ एल. आई. एस. का निर्णय करती है कि यह कैसे समझता है और

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की सराहना करता है। इसके लिए एक स्ट्रेटजैकेट सूत्र नहीं हो सकता है।

**

(जोर दिया गया)

51. राधे श्याम (सुप्रा) के मामले में तीन लोगों ने फैसला किया।

पीठ, इस न्यायालय पर पहले के सभी फैसलों का विश्लेषण करने के बाद

कानूनी स्थिति को दोहराया कि उन मामलों में जहां न्यायिक आदेश का उल्लंघन किया गया है

मौलिक अधिकार, इसकी चुनौती एक अपील के माध्यम से होगी

या अनुच्छेद 227 के तहत, और अनुच्छेद के तहत रिट के माध्यम से नहीं

घ अनुच्छेद 32। इस निर्णय के पैराग्राफ 25,27 और 29 में दी गई उक्ति विनाशकारी है। वही इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

" 25. यह सच है कि इस न्यायालय ने यह तकनीकीताएं निर्धारित की हैं इंग्लैंड में विशेषाधिकार रिटों से जुड़े कोई नहीं हैं

हमारी संवैधानिक योजना के तहत निभाई जाने वाली भूमिका। वहाँ कोई नहीं है

भारत में और अन्य सभी में राजा के दरबार की समानांतर प्रणाली

पर्यवेक्षण के अधीन सीमित अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय

राजा का दरबार। न्यायालयों की स्थापना संविधान के तहत की जाती है या

कानून हैं। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सभी न्यायालय हैं -

इसके अधीन और इसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन

अनुच्छेद 227 के तहत। लेखन का अधिकार क्षेत्र संवैधानिक रूप से है सभी उच्च न्यायालयों को प्रदान किया गया। रिट के व्यापक सिद्धांत

इंग्लैंड में अनुसरण किया जाने वाला अधिकार क्षेत्र भारत पर लागू होता है और

सर्टिओरारी का एक रिट स्पष्ट रूप से गलत या बिना के खिलाफ है

न्यायाधिकरणों या प्राधिकरणों या अदालतों के अधिकार क्षेत्र के आदेश

न्यायिक न्यायालयों की तुलना में। भारत में कोई मिसाल नहीं है

उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को रिट जारी करेंगे। नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों का उनके न्यायिक मामलों से निपटने के लिए कार्य करना

आदेशों का प्रयोग अपीलीय या पुनरीक्षण शक्तियों के माध्यम से किया जाता है

या अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण की शक्ति। के आदेश

दीवानी अदालत के आदेशों से अलग आधार पर खड़ा है

न्यायिक/सिविल के अलावा प्राधिकरण या न्यायाधिकरण या अदालतें

अदालतें। जबकि अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र विनियमित है एल. आई. सी. ऑफ इंडिया v.

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस।

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

कानून द्वारा, अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण की शक्ति है

संवैधानिक। अभिव्यक्ति "निम्न अदालत" नहीं है

न्यायिक न्यायालयों के लिए संदर्भित, जैसा कि में उचित रूप से देखा गया है

ऊपर उद्धृत पैरा 26 और 27 में आदेश का उल्लेख करते हुए।

26 .

XXX

XXX

XXX

27. इस प्रकार, हमारा विचार है कि दीवानी न्यायालयों के न्यायिक आदेश अनुच्छेद 226 के तहत प्रमाणपत्र के रिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

हम संदर्भ पीठ के दृष्टिकोण से भी सहमत हैं।

कि परमादेश का एक रिट किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन न करना। अनुच्छेद 227 का दायरा है -

अनुच्छेद 226 से अलग।

XXX

28 .

XXX

XXX

29. तदनुसार, हम निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देते हैं:

29.1 दीवानी अदालत के न्यायिक आदेश रिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र;

29.2 अनुच्छेद 227 के तहत अधिकारिता अलग है

अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र।

29.3 सूर्य देव राय में विपरीत दृष्टिकोण को खारिज कर दिया गया है।

(जोर दिया गया)

52. जोगेंद्रसिंहजी (ऊपर) में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है। निर्णय, यह माना गया है कि सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेश

केवल अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में जांच के लिए सक्षम

भारत का संविधान और कोई अंतर-न्यायालय अपील बनाए रखने योग्य नहीं है।

एकल न्यायाधीश का निर्णय। रिपोर्ट किए गए अनुच्छेद 30 में

न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 30. उपरोक्त उच्चारणों से, यह चित्रात्मक है

स्पष्ट करें कि एक पत्र पेटेंट अपील की रखरखाव क्षमता होगी

रिट याचिका में अभिवचनों पर निर्भर करता है, प्रकृति

और विद्वान एकल द्वारा पारित आदेश का चरित्र

न्यायाधीश, के संबंध में जारी किए गए निर्देशों का प्रकार

संवैधानिक संदर्भ में क्षेत्राधिकार संबंधी दृष्टिकोण।

दीवानी अदालत को छोड़कर, जिस आदेश से तीनों ने अभिनिर्धारित किया राधेश्याम (ऊपर) में न्यायाधीश पीठ ने कहा कि एक रिट याचिका

संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत ही झूठ बोल सकते हैं, आदेश

न्यायाधिकरणों से हमेशा सभी उद्देश्यों के लिए विचार नहीं किया जा सकता है [2018] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत होना। क्या विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुच्छेद 226 के तहत या अनुच्छेद 227 के तहत या दोनों के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है, इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, यह उन विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करेगा जिन पर इस न्यायालय के वनाच्छादित अधिकारियों में जोर दिया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश हो सकते हैं जिन्हें दोनों अनुच्छेदों के तहत समग्र तरीके से एक आदेश के रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि वे सह-अस्तित्व, संयोग और आत्मसात कर सकते हैं। हम दोहराते हैं कि यह प्रकृति पर निर्भर करेगा,

समोच्च और क्रम का चरित्र और यह होगा

पत्रों की सुनवाई करने वाली खंड पीठ का दायित्व यह पता लगाने और यह तय करने के लिए कि क्या आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया है या दोनों। डिवीजन बेंच को इस बात की भी जांच करने की आवश्यकता होगी कि क्या मामले के तथ्य याचिका में किए गए दावों को अनुच्छेदों और दोनों के तहत अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए उचित ठहराते हैं।

राहत ने उस नींव पर प्रार्थना की। यह कहा जाए, उच्च न्यायालय द्वारा विवादित में दर्ज किए गए निष्कर्षों में से एक

फैसला अदालत की फीस की मांग और भुगतान से संबंधित है। हम इस पर टिप्पणी करने का इरादा नहीं रखते हैं क्योंकि यह निर्भर करेगा

उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों पर "।

पैराग्राफ 44 में रिपोर्ट किए गए फैसले के समापन भाग में, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 44. हमने शुरुआत में कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा कई मुद्दे तैयार करने और विभिन्न स्तरों पर इसका जवाब देने के बावजूद तीन मुद्दे उठते हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि लेटर पेटेंट अपील के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग कैसे किया जाना है, यह पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है। यह.

यह पीठ पर निर्भर करेगा कि वह एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को कैसे समझती है और उसकी सराहना करती है। इसके लिए एक सीधा-जैकेट सूत्र नहीं हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है, उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

संविधान को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों और राधे श्याम (उपरोक्त) में संदर्भित कुछ निर्णयों द्वारा निर्देशित किया जाना है। ”

53. उसी निर्णय के अनुच्छेद 45.2 में, न्यायालय ने

आधिकारिक रूप से यह निष्कर्ष निकाला गया कि सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश केवल भारत के अनुच्छेद एल. आई. सी. v के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय की जांच के लिए उत्तरदायी है।

नंदीनी जे. शाह और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

227 भारत के संविधान का, जो संविधान के अनुच्छेद 226 से अलग है और राधे श्याम (उपरोक्त) में घोषणा के अनुसार, सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है और इसलिए, कोई भी लेटर पेटेंट अपील बनाए रखने योग्य नहीं होगी।

नेविल वाडिया (ऊपर) और प्रकाश सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (ऊपर)। हमें लेटर पेटेंट अपील पर विचार करने के लिए डिवीजन बेंच द्वारा किया गया कोई अन्य विश्लेषण नहीं मिलता है, कि किस तरह से विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग के दायरे में आएगा। इसकी कमी है। विश्लेषण के अनुसार, डिवीजन बेंच केवल नुस्ली नेविल वाडिया और प्रकाश सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड में उसी उच्च न्यायालय के पहले के फैसलों का उल्लेख करके लेटर्स पेटेंट अपील पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण नहीं कर सकती थी। लि.

55. दूसरे शब्दों में, बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ को प्रत्यर्थियों द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को विचारणीय नहीं मानते हुए खारिज कर देना चाहिए था। उस स्थिति में, डिवीजन बेंच के लिए मामले के गुण-दोष पर विश्लेषण करने का अधिकार नहीं था जैसा कि विवादित फैसले में किया गया है। यह अनुज्ञेय नहीं था और अधिकार क्षेत्र के बिना होने के कारण इसका कोई लाभ नहीं था। वास्तव में, यह उत्तरदाताओं को एक प्रतिकूल स्थिति के साथ छोड़ देगा

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2012 की उनकी रिट याचिका No.4337 को खारिज करने के निर्णय को दिनांकित 14.08.2012 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया, जिसके तहत एस्टेट अधिकारी द्वारा दिनांकित 05.12.2011 द्वारा पारित और सिटी सिविल कोर्ट द्वारा 03.04.2012 पर पुष्टि किए गए बेदखली आदेश को बरकरार रखा गया है।

56. जैसा कि हमने अभिनिर्धारित किया है कि डिवीजन बेंच, वर्तमान मामले के तथ्यों में, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील पर विचार नहीं कर सकती थी, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम प्रतिवादियों के खिलाफ एस्टेट अधिकारी द्वारा पारित बेदखली आदेश के गुणागुण की जांच करें और सिटी सिविल कोर्ट और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्टि की जाए। किसी भी मामले में, सार्वजनिक परिसर के मालिक, अर्थात् अपीलार्थी द्वारा दायर अपील में ऐसा नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, हम न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, प्रत्यर्थियों को विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती देने की स्वतंत्रता दे सकते हैं।

उचित उपचार का तरीका, यदि ऐसा सलाह दी जाती है। वह छह के भीतर किया जाएगा। आज से कुछ सप्ताह बाद अपीलार्थी संपत्ति अधिकारी द्वारा पारित बेदखली आदेश को आगे बढ़ाने के लिए मामले में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा और कानून के अनुसार उच्च न्यायालय तक अधिकार की पुष्टि करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

57. हम एक बार फिर स्पष्ट करते हैं कि हम एस्टेट द्वारा पारित बेदखली आदेश के गुण-दोष पर किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं

58. तदनुसार, उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति दी जाती है। परिणामस्वरूप, डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय और आदेश सी. डब्ल्यू. पी. No.4337/2012 में लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 181/2012 में दिनांक <आई. डी. 2. बॉम्बे के उच्च न्यायालय की याचिका को दरकिनार कर दिया गया है और उक्त लेटर्स पेटेंट अपील को बनाए रखने योग्य नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया गया है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी